VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतराष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material

(May 2018 to February 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. भारत और इसके पड़ोसी देश (India and its Neighbourhood) 4

1.1. भारत-पाकिस्तान 4
1.1.1. सिन्धु जल संधि 4
1.1.2. किशनगंगा परियोजना 5
1.1.3. गिलगित-बाल्टिस्तान 6
1.1.4. मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 7
1.1.5 ट्रैक-II कूटनीति 8
1.1.6 जेनेवा कन्वेंशन 1949 8
1.2. भारत-नेपाल 10
1.2.1. मित्रता संधि 10
1.2.2. जल सहयोग 10
1.2.3. 2 + 1 संवाद व्यवस्था 11
1.3. भारत-बांग्लादेश 11
1.3.1. बांग्लादेश में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन 11
1.3.2. सीमा हाट 11
1.4. भारत-म्यांमार 12
1.1.4. लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट 12
1.4.2 रोहिंग्या 13
1.5. भारत-मालदीव 13
1.6 भारत-भूटान 14
1.7. भारत-अफगानिस्तान 15
1.8. भारत-प्रशांत एवं हिन्द महासागर क्षेत्र 16
1.8.1. क्वाड (QUAD) 16
1.8.2 एशिया रिअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट 16
1.8.3 सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) 17
1.8.4 हिंद महासागर सम्मेलन 18

2. भारत एवं दक्षिण-पूर्व / पूर्व एशिया (India And Southeast /East Asia) 19

2.1 दिल्ली संवाद का 10 वां संस्करण 19
2.2 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 19
2.3 भारत-दक्षिण कोरिया 20
2.4 भारत-जापान 20
2.5 भारत-इंडोनेशिया 21
2.6 भारत-ऑस्ट्रेलिया 22

3. भारत और मध्य एशिया / रूस (India and Central Asia / Russia) 23

3.1. प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता 23
3.2. भारत-रूस संबंध 23

VISION IAS

4. भारत एवं पश्चिमी एशिया (India and West Asia).....25

4.1. भारत-सऊदी अरब 25
4.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात 25
4.3. दुक़्म पत्तन 26

5. भारत और अफ़्रीका (India and Africa) 27

5.1. अफ्रीका में भारत का बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव 27
5.2. ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती नेटवर्क परियोजना 27

6. अमेरिका (USA) 29

6.1. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता 29
6.2. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध 30

7. अंतरराष्ट्रीय संगठन/संस्थान (International Organization/Institutions).....32

7.1. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौता 32
7.2. संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली 32
7.3. संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली बल 33
7.4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 34
7.5 मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मत 34
7.6 ब्रिक्स 35
7.7 शंघाई सहयोग संगठन 35
7.8. ऑर्गनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज (OPEC) 36
7.9. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 37
7.10. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) 38
7.11. एशियन डेवलपमेंट बैंक 38
7.12. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (EBRD) 38
7.13. IBSA 39
7.14 सार्क विकास कोष 40
7.15 बिम्सटेक 40
7.16 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 40
7.17 आप्टा 41
7.18 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) 42
7.19 कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप 42
7.20 अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र 42
7.21. जी-7 (G7) 43
7.22 G-20 43
7.23 रासायनिक हथियार निषेध संगठन 44
7.24 एशिया-यूरोप बैठक 45
7.25. एशिया पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 45

8. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ (International Events).....47

VISION IAS

8.1. ईरान परमाणु समझौता 47
8.2. कोलंबिया बनेगा नाटो का सदस्य 47
8.3. सिंगापुर सम्मेलन 49
8.4. कैस्पियन सागर से संबंधित महत्वपूर्ण संधि 49
8.5. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 50
8.6. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि 51
8.7. ब्रेक्जिट 52
8.8. वेनेजुएला संकट 54
8.9. विवादित क्षेत्र और उससे प्रभावित समुदाय 54

9. सुरक्षा से संबन्धित मुद्दे (Issues Related to Security) 56

9.1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 56
9.2. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष 57
9.3. रणनीतिक नीति समूह 58
9.4 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 58
9.5 वामपंथी उग्रवाद के नियंत्रण की नई पहलें 59
9.6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 59
9.7 जम्मू-कश्मीर में NSG कमांडो की तैनाती 60
9.8 रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट-अप्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी 60
9.9 टेररिस्ट ट्रेवल पहल 61

10. विविध (Miscellaneous) 62

10.1. प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता 62
10.2 प्रत्यर्पण 62
10.3 प्रारूप उत्प्रवास विधेयक 63
10.4 मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति 64
10.5 रायसीना वार्ता 2019 64
10.6 बेरुत घोषणा 65
10.7. उइगर 65
10.8. कर्च जलसंधि 65
10.9. फरजाद-बी गैस ब्लॉक 65
10.10. कैटेलोनिया 66
10.11 इन्स्टेक्स एस.ए.एस. 66
10.12 ज़िले ज़ॉन प्रोटेस्ट 66
10.13 स्वीडन की फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी नियमावली 66
10.14. सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास 66

VISION IAS

1. भारत और इसके पड़ोसी देश (India and its Neighbourhood)

1.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

1.1.1. सिन्धु जल संधि

(Indus Water Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने सिंधु नदी तंत्र में भारत के जल के हिस्से को पाकिस्तान में प्रवाहित होने से रोकने का निर्णय लिया है।

संधि के विषय में

- **विश्व बैंक** की मध्यस्थता में संपन्न **वर्ष 1960 की सिन्धु जल संधि** के तहत सिन्धु बेसिन के दो मुख्य देशों अर्थात् भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों हेतु अपने अधिकारों का बँटवारा किया गया है।
- हालांकि सिन्धु नदी का उद्गम तिब्बत (चीन) से होता है तथापि चीन को संधि से बाहर रखा गया है।
- संधि के अनुसार **तीन पूर्वी नदियों अर्थात्** रावी, व्यास और सतलज **का नियंत्रण भारत को प्रदान किया गया है।** जबकि तीन पश्चिमी नदियों, नामतः सिन्धु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के अधीन है।
- यह संधि सिंचाई, विद्युत् उत्पादन और परिवहन हेतु भारत को **सिन्धु नदी के जल के केवल 20% भाग** का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करती है।
- संधि के कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु एक द्विपक्षीय आयोग के रूप में **स्थायी सिन्धु आयोग (PIC)** की स्थापना की गई थी। यह आयोग जल सहभाजन पर उभरने वाले विवादों का समाधान भी करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

सर क्रीक विवाद

- सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक 96 किलोमीटर लम्बा ज्वारनदमुख (estuary) है।
- यह क्रीक अरब सागर में स्थित है तथा भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध राज्य से पृथक करता है।
- यह विवाद कच्छ और सिंध के मध्य समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या से सम्बंधित है।

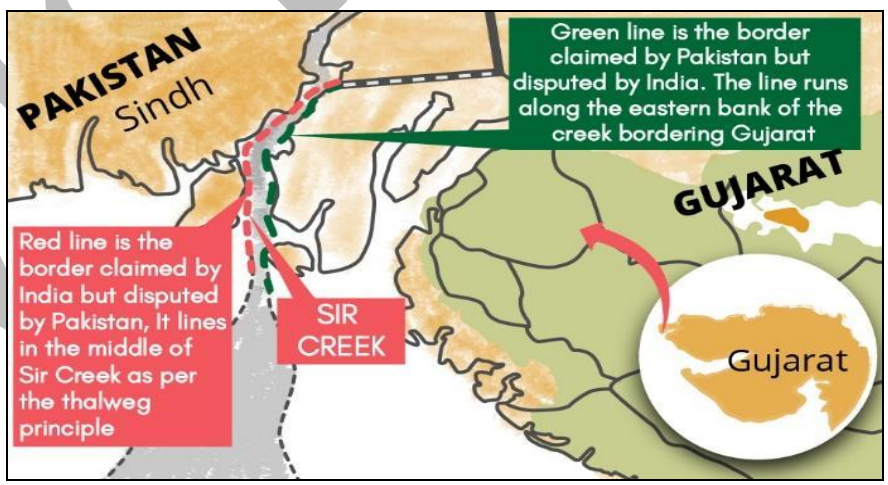

उपर्युक्त चित्र में- सर क्रीक

- हरी रेखा वह सीमा रेखा है जिसका पाकिस्तान द्वारा दावा किया जाता है परन्तु इस पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। यह रेखा गुजरात की सीमा बनाने वाले क्रीक के पूर्वी किनारे के साथ-साथ गुजरती है।
- लाल रेखा भारत द्वारा स्वीकार की गई सीमा रेखा है परन्तु पाकिस्तान को इस पर आपत्ति है। यह रेखा थालवेग सिद्धांत के अनुरूप सर क्रीक के मध्य में स्थित है।
- सर क्रीक के पूर्व में गुजरात है और पश्चिम में पाकिस्तान का सिंध प्रान्त।

VISION IAS

1.1.2. किशनगंगा परियोजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने हाल ही में किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- यह कश्मीर में गुरेज़ घाटी में स्थित 330 मेगावाट की **रन ऑफ़ द रिवर** नदी जलविद्युत परियोजना है।
- इस योजना में झेलम नदी बेसिन में स्थित विद्युत् संयंत्र के लिए भूमिगत सुरंग के माध्यम से किशनगंगा नदी से जल प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात इस जल का निस्सरण वुलर झील में किया जाएगा।
- यह परियोजना 2009 में आरम्भ हुई थी, किन्तु 2010 में पाकिस्तान ने **हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration)** में अपील की कि यह परियोजना सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती है तथा साथ ही इसने पाकिस्तान को उसकी विद्युत् परियोजना (जो PoK में नीलम घाटी में निर्माणाधीन है) के लिए किशनगंगा के आवश्यक जल के हिस्से से वंचित कर दिया है। किशनगंगा नदी पाकिस्तान में नीलम नदी के रूप में बहती है।
- कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को परियोजना के **तकनीकी आंकड़े प्रस्तुत** करने का आदेश दिया और भारत को सीमा पारीय जल के न्यूनतम 9 घन मीटर प्रवाह को बनाए रखते हुए बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

अन्य प्रमुख विवादित परियोजनाएँ

परियोजना	नदी / सहायक नदी एवं अवस्थिति
पाकल डल डैम (कंक्रीट-फेस रॉक-फिल डैम)	जम्मू और कश्मीर में चिनाब की एक सहायक नदी मरुसदर नदी
रातले (रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन)	चिनाब नदी (जम्मू और कश्मीर), रातले गांव में नदी के निचले प्रवाह पर।
मियार (रन-ऑफ-द-रिवर योजना)	मियार नाला, जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति के पास चिनाब की एक सहायक नदी है।
लोअर कलनाई (गुरुत्व बाँध)	लोअर कलनाई नाला पर जो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी की सहायक नदी है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration)

- इसकी स्थापना 1899 में प्रथम हेग पीस कांफ्रेंस के दौरान कन्वेंशन फॉर द पैसिफ़िक सेटेलमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल डिस्प्यूटस के द्वारा की गई थी।
- यह **मध्यस्थता और सदस्य राज्यों के बीच विवाद समाधान के अन्य रूपों की सुविधा प्रदान करता है।**
- PCA पारंपरिक अर्थों में एक न्यायालय नहीं है, बल्कि विशिष्ट विवादों को सुलझाने के लिए गठित किये जाने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के लिए एक स्थायी फ्रेमवर्क है।
- PCA मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करने वाला प्रथम स्थायी अंतर सरकारी संगठन था।
- इसमें एक **तीन भागों वाली संगठनात्मक संरचना है**- एक **प्रशासनिक परिषद** जो इसकी नीतियों और बजट की देखरेख करती है, **संभावित स्वतंत्र मध्यस्थों का एक पैनल** जिन्हें कोर्ट के सदस्यों के रूप में जाना जाता है तथा सेक्रेटरी-जनरल की अध्यक्षता में एक **सचिवालय** जिसे अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के रूप में जाना जाता है।

VISION IAS

1.1.3. गिलगित-बाल्टिस्तान

(Gilgit-baltistan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत ने **पाकिस्तान के उस आदेश का विरोध** किया है जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को देश के संघीय ढांचे में एकीकृत करने की घोषणा की गयी है।

गिलगित-बाल्टिस्तान (GB) क्षेत्र के बारे में

- यह क्षेत्र पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर रियासत का एक भाग था, लेकिन कबीलाई लड़ाकों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किये जाने के पश्चात् **4 नवंबर 1947 से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है।**
- इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर **'पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र'** रखा गया और इसे इस्लामाबाद के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। उत्तरी क्षेत्र **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से पृथक है।** PoK जम्मू-कश्मीर का वह भाग जिसे पाकिस्तान द्वारा "आज़ाद कश्मीर" के रूप में संबोधित किया जाता है। हालाँकि, उत्तरी क्षेत्र का आकार **PoK के आकार से छह गुना से अधिक बड़ा है।**
- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है।

वर्तमान स्थिति

- इसकी एक निर्वाचित विधानसभा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद है।
- **पाकिस्तान के संविधान में GB का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है**: यह न तो स्वतंत्र है, और न ही इसे प्रांतीय दर्जा प्राप्त है। **इसे पाकिस्तान द्वारा अब तक एक पृथक भौगोलिक इकाई माना जाता था।**

अन्य संबन्धित तथ्य

भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है:

- प्रथम- **अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB)**, जो गुजरात से जम्मू के अखनूर में चिनाब के उत्तरी तट तक लगभग 2,400 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है।
- द्वितीय- **नियंत्रण रेखा (LoC)**, जिसकी लंबाई 740 किमी है और जो जम्मू के क्षेत्रों से लेकर लेह के भागों तक विस्तृत है। यह एक संघर्ष विराम रेखा है जो 1948 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् अस्तित्व में आई थी। इसे **शिमला समझौते (जुलाई 1972) में निर्धारित किया गया था**, जिसके तहत दोनों पक्षों द्वारा इसका उल्लंघन न करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- तृतीय- **एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन (AGPL)**, जो सियाचिन क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की वर्तमान स्थिति को विभाजित करती है। इसकी लंबाई 110 किमी है और यह उत्तर में NJ 9842 से इंदिरा कोल तक विस्तृत है।

सम्बंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा उरुग्वे सेना के वरिष्ठ जनरल मेजर जनरल जोस एलाडियो एलकेन को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) का मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया।
- इसकी स्थापना जनवरी 1949 में जम्मू-कश्मीर पहुंचे निहत्थे सैन्य पर्यवेक्षकों के प्रथम दल के रूप में भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम की निगरानी करने हेतु और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 1948 में गठित **भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) के सैन्य सलाहकार** को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- **1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध** और तत्पश्चात हुए युद्धविराम समझौते के बाद UNMOGIP का कार्य 17 दिसंबर,

VISION IAS

1971 के संघर्ष विराम के सख्त अनुपालन की यथासंभव सख्त निगरानी करना तथा महासचिव को इसकी रिपोर्ट करना रहा है।

- इसके अतिरिक्त, इसने स्पष्ट किया कि मिशन के पास LoC से भिन्न क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं है और **यह समस्त कश्मीर को कवर नहीं करता है।**
- दूसरी ओर, भारत ने कहा है कि **UNMOGIP की उपयोगिता समाप्त हो गयी है तथा शिमला समझौते और तत्पश्चात नियंत्रण रेखा की स्थापना के बाद यह अप्रासंगिक है।**

1.1.4. मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा

(MFN Status)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया।

MFN सिद्धांत के संबंध में

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) के MFN सिद्धांत के अनुसार, WTO के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा **"अन्य सदस्यों के साथ समान रूप से वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा वह 'मोस्ट फेवर्ड' (सर्वाधिक तरजीही) व्यापारिक भागीदारों के साथ करता है।"**
- यदि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के लिए सीमा-शुल्क की निम्न दर जैसा **कोई विशिष्ट प्रावधान (special favour)** किया जाता है तो उसे WTO के अन्य **सभी सदस्य देशों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान** करना होगा।
- इस प्रकार इसके प्रभाव का तात्पर्य **गैर-भेदभाव** से है।
- **MFN सिद्धांत के अपवाद**
  - **मुक्त व्यापार समझौतों** में प्रवेश करने का अधिकार
  - **विकासशील देशों को अपने बाजारों तक विशेष पहुंच** प्रदान करना।
  - **अनुचित व्यापार प्रचलनों** के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाना।
  - **सामान्य अपवाद** - किसी राष्ट्र के पास ऐसे उपाय करने का अधिकार है जो भले ही वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित करते हों किन्तु मानव, जंतुओं या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु आवश्यक हो।
  - **सुरक्षा अपवाद**- किसी राष्ट्र को आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण संबंधी ऐसे उपाय करने का अधिकार है जो वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित करते हों। भारत पाकिस्तान को MFN का दर्जा देने से इनकार करने या कुछ व्यापार प्रतिबंधों को आरोपित करने के उद्देश्य से इस प्रावधान का उपयोग करने पर विचार कर सकता है।
  - **भुगतान संतुलन (BOP)**- किसी राष्ट्र को अपनी बाह्य वित्तीय स्थिति और अपने भुगतान संतुलन (BOPs) की सुरक्षा हेतु उपाय करने का अधिकार है।
  - **सेवाओं में अपवाद**: देशों को कुछ सीमित परिस्थितियों में भेदभाव करने की अनुमति होती है।
- मराकेश संधि के लागू होने की तिथि से भारत ने पाकिस्तान सहित WTO के सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा प्रदान किया है।
- हालांकि पाकिस्तान ने गैर-टैरिफ प्रशुल्कों के साथ-साथ विशाल व्यापार असंतुलन का उल्लेख करते हुए कभी भी इसके बदले में भारत को MFN का दर्ज़ा नहीं दिया। पाकिस्तान ने 1,209 उत्पादों की नकारात्मक सूची को यथावत बनाए रखा है जिसमें सम्मिलित वस्तुओं को भारत से आयात करने की अनुमति नहीं है।

नेशनल ट्रीटमेंट के सिद्धांत

- यह सिद्धांत तय करता है कि **आयातित और स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ**, कम से कम विदेशी वस्तुओं के बाजार में प्रवेश कर जाने के पश्चात, **समान व्यवहार किया जाना चाहिए।**
- इस प्रकार, यह भी व्यापार संबंधी **भेदभाव दूर करने का** एक उपाय है।
- विदेशी और घरेलू **सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा (IoIP)** की विदेशी एवं स्थानीय वस्तुओं पर भी यह लागू होना चाहिए।

VISION IAS

- आयात पर सीमा-शुल्क लगाना नेशनल ट्रीटमेंट का उल्लंघन नहीं है, भले ही स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों पर उसी समान दर से कर न लगाया जाए; क्योंकि यह सिद्धांत **केवल उत्पाद, सेवा या IoIP का एक बार बाजार में प्रवेश हो जाने के बाद लागू होता है।**

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- इसका गठन {1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) के रूप में} उरुग्वे दौर (1986-1994) के परिणामस्वरूप मराकेश संधि (1994) के तहत किया गया था।
- एक संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन से जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सृजन, विकासशील देशों की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ व्यापार का विस्तार तथा समग्रता में संधारणीय विकास हेतु बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद की गयी थी। व्यापार उदारीकरण (trade liberalizations) को उपर्युक्त उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा गया था।
- व्यापार उदारीकरण के मूल सिद्धांत, जिनका पालन किया जाना चाहिए, वे **गैर विभेदीकरण एवं पारस्परिकता** थे।
- इन सिद्धांतों को मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में 'एक देश एक वोट' पर आधारित सर्वसम्मतिपूर्ण निर्णयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह **WTO की लोकतांत्रिक संरचना एवं प्रक्रियाओं** को प्रदर्शित करता है।
- इसके अतिरिक्त, एक **विवाद समाधान तंत्र** स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन की संगठनात्मक संरचना

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** - प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाली इस बैठक में WTO के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। 2017 में इसका 11 वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था।
- **आम परिषद (जनरल काउंसिल)**- यह एक **विवाद निपटान निकाय** और **व्यापार नीति समीक्षा निकाय** के रूप में कार्य करती है।

1.1.5 ट्रैक-II कूटनीति

(Track-II Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में **ट्रैक-II वार्ता** का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सबसे पुरानी **ट्रैक-II पहलों** में से एक और इस प्रकार की पहली वार्ता (नीमराना वार्ता के नाम से भी प्रसिद्ध) का आयोजन 1991-92 में नीमराना के किले (राजस्थान) में किया गया था।
- इसे बैकचैनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इसमें गैर-सरकारी व्यक्ति (जैसे पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त सैनिक, शिक्षाविद इत्यादि) **अनौपचारिक रूप से** वार्ता का आयोजन कर उन सामान्य मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं जिनके समाधान में आधिकारिक वार्ताकार सफल नहीं होते हैं। इसके तहत होने वाली वार्ता को आधिकारिक बयान के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया जाता है।
- **ट्रैक-I कूटनीति** एक आधिकारिक सरकारी कूटनीति है जिसके माध्यम से सरकारों के मध्य संचार एवं वार्ता संपन्न होती है।

1.1.6 जेनेवा कन्वेंशन 1949

(Geneva Convention 1949)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान सरकार पर भारतीय वायु सेना के पायलट (जिसे मिग-21 फाइटर जेट के क्रैश हो जाने के बाद पाक-अधिकृत कश्मीर में हिरासत में ले लिया गया था) के साथ किए गये व्यवहार के लिए जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

VISION IAS

जेनेवा कन्वेंशन क्या है?

- **जेनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल** आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के आधार का निर्माण करते हैं। यह कन्वेंशन निर्धारित करता है कि युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों का उपचार किस प्रकार किया जाना चाहिए।
- यद्यपि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 1949 में अपनाया गया था तथापि **चारों जेनेवा कन्वेंशन** सशस्त्र संघर्षों पर आज भी लागू होते हैं।
- बाद में नियमों का विस्तार करने वाले **तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल** भी अपनाए गए।
- **सभी देशों द्वारा इन कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की गई** है और ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।
- कोई भी राष्ट्र जिसने जेनेवा कन्वेंशनों की अभिपुष्टि की है (किन्तु प्रोटोकॉल की नहीं) अभी भी कन्वेंशनों के सभी प्रावधानों से बंधा हुआ है।
- जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधान **शांतिकाल, घोषित युद्ध और यहाँ तक कि उन सशस्त्र संघर्षों में भी लागू होते हैं** जिन्हें एक या अधिक पक्षों द्वारा युद्ध के रूप में मान्यता न दी गई हो।
- इनमें **"गंभीर उल्लंघनों" के लिए बनाए गए** कठोर नियम शामिल हैं।
- जेनेवा सम्मेलनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का अधिदेश अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) को प्रदान किया गया है।

जेनेवा कन्वेंशन

- **कन्वेंशन I:** यह कन्वेंशन घायल और संक्रमित सैनिकों की **उत्पीड़न** से रक्षा करता है। साथ ही सम्मेलन में अत्याचार, व्यक्तिगत गरिमा पर हमला और न्यायिक निर्णय के बिना दंड देने पर भी प्रतिबंध है। यह उचित **चिकित्सा उपचार और देखभाल का अधिकार** भी प्रदान करता है।
- **कन्वेंशन II:** इस समझौते द्वारा पहले सम्मेलन में वर्णित सुरक्षा उपायों को **जलपोत सैनिकों और अन्य नौसेना बलों तक** विस्तारित किया गया, साथ ही इसमें अस्पताल के रूप में कार्य करने वाले जहाजों के लिए विशेष सुरक्षा खर्च भी शामिल थे।
- **कन्वेंशन III:** इसने **'प्रिजनर ऑफ वॉर (युद्ध बंदी)'** को परिभाषित किया और उन्हें पहले सम्मेलन द्वारा निर्दिष्ट उचित और मानवीय उपचार प्रदान किये जाने का प्रावधान किया।
  - इसमें कहा गया है कि PoW (युद्धबंदी) को अपमान और सार्वजनिक जिज्ञासा के साथ-साथ हिंसा या धमकी के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाना होगा। संभव है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान ने इन संधियों का उल्लंघन किया हो क्योंकि उनके सैन्य प्रवक्ता ने कैद किए गए IAF पायलट की एक तस्वीर को ट्वीट किया था।
  - ICRC के अनुसार "PoWs" सामान्यतः युद्ध अथवा संघर्ष में शामिल किसी एक पक्ष (देश या देशों के एकीकृत समूह) के सशस्त्र बलों के वे सदस्य होते हैं जो प्रतिद्वंदी के हाथों में आ जाते हैं।" ICRC सैन्य और नागरिक, दोनों प्रकार के कैदियों की देखभाल करता है।
- **कन्वेंशन IV:** इस कन्वेंशन के तहत **नागरिकों को भी समान सुरक्षा प्रदान की गई है।**

प्रोटोकॉल

- **प्रोटोकॉल I अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों** के दौरान नागरिक जनसंख्या के साथ-साथ सैन्य और नागरिक चिकित्सा श्रमिकों के लिए सुरक्षा का विस्तार करता है।
- **प्रोटोकॉल II** गृहयुद्ध जैसे **उच्च तीव्रता वाले आंतरिक संघर्षों** में पकड़े गए पीड़ितों के लिए सुरक्षा को विस्तृत करता है। यह गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों की स्थितियों के लिए विशेष रूप से समर्पित पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी।
  - यह दंगों, प्रदर्शनों और हिंसा की छिटपुट घटनाओं जैसी आंतरिक अशांति पर लागू नहीं होता है।
- **तीसरा अतिरिक्त प्रोटोकॉल:** इसके तहत एक विशिष्ट प्रतीक **'रेड क्रिस्टल'** को अपनाया गया था जिसे रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट प्रतीकों के समान अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। इनमें से किसी भी सुरक्षात्मक प्रतीक को प्रदर्शित करने वाले लोग एक मानवीय सेवा कर रहे हैं और इन्हें संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रॉस आंदोलन

- यह एक मानवीय आंदोलन है जिसमें विश्व भर में लगभग 17 मिलियन स्वयंसेवक शामिल हैं।
- इसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जिनका उद्देश्य साझा है किन्तु वे कानूनी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।

VISION IAS

गंभीर उल्लंघन (Grave Breaches)

- इसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है, यदि वह कन्वेंशन द्वारा संरक्षित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो:
  - जैविक प्रयोगों सहित हत्या, यातना या अमानवीय व्यवहार,
  - शरीर या स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ित करना या जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना
  - व्यापक विध्वंस और संपत्ति की ज़ब्ती, जिसे सैन्य आवश्यकता के आधार पर उचित न ठहराया जा सकता हो और जिसे अवैधानिक और निर्दयतापूर्ण ढंग से संचालित किया गया हो।
- गंभीर उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी की तलाश की जानी चाहिए या उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या उसका प्रत्यर्पण (चाहे वह किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो) किया जाना चाहिए।

1.2. भारत-नेपाल

(India-Nepal)

1.2.1. मित्रता संधि

(Friendship Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 1950 की भारत-नेपाल मित्रता संधि की समीक्षा करने की मांग की गई है।

भारत-नेपाल मित्रता संधि

- यह संधि:
  - नेपाली नागरिकों को भारत में बिना किसी परमिट के कार्य करने, सरकारी नौकरियों एवं सिविल सेवाओं (IFS, IAS एवं IPS को छोड़कर) हेतु आवेदन करने की स्वीकृति प्रदान करती है।
  - नेपाली नागरिकों को भारत में बैंक खाता खोलने तथा संपत्ति खरीदने की अनुमति देती है।
  - नेपाल को भारत के राज्य क्षेत्र से हथियार एवं गोला-बारूद आयात करने की अनुमति देती है।
- भारत ने सद्भावना के प्रतीक के रूप में 'पारस्परिकता' के तहत प्राप्त अपने अधिकारों को त्याग दिया था।

1.2.2. जल सहयोग

(Water Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बहुउद्देशीय पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए एक संशोधित द्वितीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

पंचेश्वर बांध परियोजना के बारे में

- यह भारत और नेपाल में ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई में वृद्धि के उद्देश्य से प्रस्तावित एक द्वि-राष्ट्रीय परियोजना है।
- यह महाकाली नदी (जो भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है) पर प्रस्तावित है। महाकाली नदी पर यह परियोजना उस स्थान पर प्रस्तावित है जो नेपाल और भारत के उत्तराखंड राज्य के मध्य अंतरराष्ट्रीय नदी सीमा निर्मित करती है।
- महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित **"महाकाली संधि"** भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर बांध परियोजना शामिल है।

दोनों देशों के मध्य अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ-

- कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाएं।
- सप्त-कोसी उच्च बांध परियोजना और सुन कोसी भंडारण सह विपथन (डायवर्जन) योजना।
- करनाली बहुउद्देशीय परियोजना।

VISION IAS

1.2.3. 2 + 1 संवाद व्यवस्था

(2+1 Dialogue Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने नेपाल के साथ एक **नई संवाद व्यवस्था** प्रस्तावित की है, जिसके अंतर्गत भारत को भी शामिल किया जाएगा।

विवरण

- प्रस्तावित **2+1 संवाद व्यवस्था** एक **त्रिपक्षीय तंत्र से भिन्न है**। चीन द्वारा जारी प्रस्ताव के तहत, **चीन और भारत संयुक्त रूप से एक तीसरे क्षेत्रीय देश के साथ वार्ता कर सकते हैं** अर्थात् यह **'नेपाल विशिष्ट' नहीं** है और इसे दक्षिण एशिया के **किसी अन्य देश के संदर्भ में भी लागू** किया जा सकता है।
- यह घोषणा **वुहान शिखर सम्मेलन** (भारत और चीन के मध्य एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन) के पश्चात् की गई थी।

1.3. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

1.3.1. बांग्लादेश में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन

(Inauguration of Multiple Projects in Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में संयुक्त रूप से अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

प्रारंभ की गई परियोजनाओं के बारे में

- भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति।
- विभिन्न रेलवे लिंकों का निर्माण कार्य।
- भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पारबतीपुर तक तेल परिवहन हेतु **भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना** का निर्माण।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ

- **रूपपुर परियोजना**- यह बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भारत-रूस समझौते के तहत प्रारंभ की गई प्रथम पहल है। भारत द्वारा इसके लिए कार्मिक प्रशिक्षण व परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही भारत द्वारा निर्माण एवं स्थापना गतिविधियों में भागीदारी की जाएगी और बांग्लादेश में परियोजना स्थल पर नॉन-क्रिटिकल सामग्री (जो निर्माण हेतु अत्यावश्यक न हो) की आपूर्ति की जाएगी।
- **अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT)** के माध्यम से भारत बांग्लादेश को अंतर और अंतरा सीमा कनेक्टिविटी के लिए जलमार्ग की क्षमता के पूर्ण दोहन में सहायता कर रहा है।
- **बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN)** पहल का उद्देश्य वस्तुओं के वाहनों के अंतरण (ट्रांस-शिपमेंट) की आवश्यकता के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में कार्गो और यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है।
- भारत ने बांग्लादेश के साथ शिक्षा की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क** का विस्तार किया है।

1.3.2. सीमा हाट

(Border Haats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीमा हाट पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की प्रथम बैठक अगरतला में आयोजित की गई।

विस्तृत विवरण

- यह दोनों देशों द्वारा **सप्ताह में एक दिन** आयोजित किया जाने वाला एक सीमा व्यापार बाजार है तथा इसका उद्देश्य **स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की पारंपरिक प्रणाली** की स्थापना करके, सीमाओं के पार सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- **मेघालय** में दो सीमा हाट **कालाईचर (प्रथम सीमा हाट)** और बालात तथा **त्रिपुरा** में दो सीमा हाट श्रीनगर और कमलासागर में स्थित हैं।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

एकीकृत चेक पोस्ट (ICP)

- यह शत्रुतापूर्ण तत्वों के विरुद्ध देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में सहायता करता है। यह व्यापार और वाणिज्य को भी सुविधाजनक बनाता है और राजस्व में वृद्धि करता है।
- वर्तमान में कार्यरत ICP में पंजाब में अटारी (पाकिस्तान सीमा), पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल (बांग्लादेश सीमा), त्रिपुरा में अखौरा (बांग्लादेश), मेघालय में देवकी (बांग्लादेश), बिहार में रक्सौल तथा जोगबनी (नेपाल) शामिल हैं।

1.4. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

1.1.4. लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट

(Land Border Crossing Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग (स्थल सीमा पारगमन) पर भारत और म्यांमार के मध्य समझौते को मंजूरी दी गयी है।

इस बारे में अन्य जानकारी

- यह समझौता समान्यतः दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के पहले से विद्यमान मुक्त आवागमन के अधिकारों के विनियमन और सामंजस्य की सुविधा प्रदान करता है।
- यह वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही को आसान बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य आर्थिक और सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी।
- हाल ही में, मणिपुर के **मोरेह** और मिज़ोरम के **जोखवथर** में दो पारगमन बिंदुओं (क्रॉसिंग पॉइंट्स) को खोला गया है।
- इसके पश्चात् 'स्पेशल लैंड एंट्री परमिशन' (स्थल सीमा के माध्यम से प्रवेश हेतु अनुमति) की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी), जिसे पूर्व में स्थलीय मार्गों के माध्यम से देश में प्रवेश करने वाले आगंतुकों के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता था।

म्यांमार से होकर गुजरने वाली अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- **IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग:** यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत निर्माणाधीन एक क्षेत्रीय राजमार्ग है। यह भारत में मोरेह को म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सोत से जोड़ेगा। इस राजमार्ग से आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के शेष हिस्सों में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- **मोटर वाहन समझौता (Motor Vehicle Agreement: MVA):** भारत, म्यांमार और थाईलैंड द्वारा MVA को अंतिम रूप देने और लागू करने हेतु वार्ता की जा रही है।
- **'कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट'** द्वारा कोलकाता स्थित भारत के पूर्वी बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन प्रांत स्थित सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। म्यांमार में, यह सितवे बंदरगाह को कलादान नदी के माध्यम से चिन प्रान्त के पलेटवा से जोड़ेगा और तत्पश्चात सड़क के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के मिज़ोरम को पलेटवा से जोड़ा जाएगा।

1.4.2 रोहिंग्या

(Rohingyas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत-म्यांमार सीमा के समीप स्थित मणिपुर के मोरेह के मार्ग से रोहिंग्याओं को म्यांमार** वापस भेजा गया।

रोहिंग्याओं के बारे में

- **ये प्रमुख रूप से मुस्लिम समूह हैं जो मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित रखाइन प्रान्त (अराकान क्षेत्र) में निवास करते हैं।** इनके द्वारा उस क्षेत्र में सामान्यतः बोली जाने वाली बर्मी भाषा के विपरीत बंगाली भाषा की एक उपबोली बोली जाती है।
- हालाँकि, ये पीढ़ियों से इस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में निवास कर रहे हैं किन्तु म्यांमार द्वारा इनकी पहचान औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रवासित लोगों के रूप में की जाती है। इसलिए, म्यांमार द्वारा रोहिंग्याओं को पूर्ण नागरिकता प्रदान नहीं की गई है।
- भारत द्वारा कानूनी रूप से रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेज दिया जाता है क्योंकि **भारत न तो 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और न ही 1967 के इसके प्रोटोकॉल का सदस्य है।** इन दोनों कानूनी साधनों में 'नॉन- रिफॉउलमेंट' का सिद्धांत अर्थात् राज्य पक्षों की यह बाध्यता शामिल कि वे शरणार्थियों को उन देशों में वापस नहीं भेजेंगे जहाँ उत्पीड़न का स्पष्ट खतरा विद्यमान हो।
- भारत में इन्हें अवैध आप्रवासी माना जाता है तथा **भारत में शरणार्थियों की सुरक्षा को शासित करने संबंधी घरेलू स्तर पर प्रक्रिया या कानून विद्यमान नहीं है।**
- बांग्लादेश में शरणार्थियों के अत्यधिक संख्या में प्रवेश के कारण उत्पन्न हो रहे मानवीय संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप, भारत सरकार ने **ऑपरेशन इंसानियत** के तहत बांग्लादेश को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है।

1.5. भारत-मालदीव

(India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति ने अपना पदभार संभालने के एक माह के भीतर ही अपनी प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में भारत की यात्रा की।

संबंधों में पुनर्संतुलन को दर्शाने वाले हालिया घटनाक्रम

- हाल ही में भारत ने मालदीव हेतु 1.4 बिलियन डॉलर की **वित्तीय सहायता** प्रदान करने की घोषणा की ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था को ऋण-जाल से बाहर निकाला जा सके।
- भारत द्वारा तटीय निगरानी रडार प्रणाली (CSRS) परियोजना का विस्तार करने संबंधी अपने प्रस्ताव को नवीनीकृत करने की योजना बनाई गयी है। CSRS परियोजना को प्रारंभिक रूप से मॉरीशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे तटीय देशों के साथ वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था।
- भारत के समर्थन द्वारा हाल ही में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा मालदीव के राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित होने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने में सहायता की जा रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रमंडल

- यह 53 सदस्य राज्यों (31 द्वीपीय देशों सहित) का एक विशिष्ट राजनीतिक संघ है, इनमें से लगभग सभी देश पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे।
- इस संगठन के मुख्य संस्थानों के अंतर्गत **राष्ट्रमंडल सचिवालय** (जो अंतर-सरकारी पहलुओं पर केंद्रित है) और **राष्ट्रमंडल फाउंडेशन** (जो सदस्य राज्यों के मध्य गैर-सरकारी संबंधों पर केंद्रित है) शामिल हैं।
- इसकी स्थापना मूलतः वर्ष 1926 के इंपीरियल सम्मेलन में बाल्फोर घोषणा के माध्यम से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में की गई थी तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1931 में स्टेट्यूट ऑफ़ वेस्टमिंस्टर के माध्यम से इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था।
- वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) का गठन 1949 में लंदन घोषणा द्वारा किया गया था। इसके

VISION IAS

द्वारा संबंधित समुदाय का आधुनिकीकरण किया गया और सदस्य राज्यों को "स्वतंत्र एवं समान" देशों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

- इसके अंतर्गत सदस्य राज्यों का एक दूसरे के प्रति कोई विधिक दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी भाषा, इतिहास, संस्कृति एवं लोकतंत्र, मानव अधिकारों तथा विधि के शासन इत्यादि के अपने साझा मूल्यों के माध्यम से एकजुट हैं।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य अपने सभी 22 सदस्य राज्यों और 9 डायलॉग पार्टनरों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग एवं सतत विकास को सुदृढ़ करना है।
- इसके प्रमुख प्राथमिक तथा फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं: मत्स्य प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा आदि।
- इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और यमन शामिल हैं।

क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण संगठन

- **हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS):** यह हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री राज्यों (littoral states) की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की एक पहल है। पहला IONS वर्ष 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में इसकी 10वीं वर्षगाँठ आयोजित की गयी थी।
- **हिंद महासागर आयोग (COI):** COI की स्थापना वर्ष 1984 में एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसमें पांच अफ्रीकी हिंद महासागरीय राष्ट्र- कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन और सेशेल्स शामिल हैं।

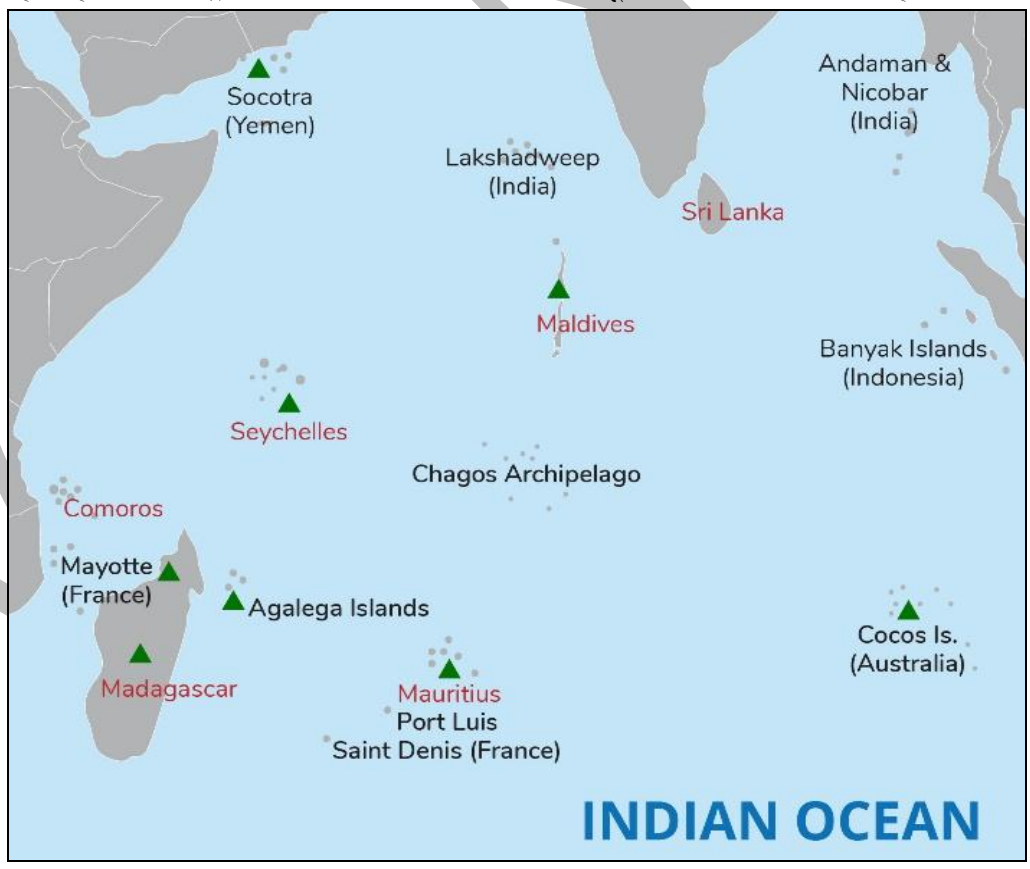

1.6 भारत-भूटान

(India-Bhutan)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपनी प्रथम राजकीय यात्रा के रूप में भारत की यात्रा की।

भारतीय विदेश नीति के लिए भूटान का महत्व

- **एक विश्वसनीय सहयोगी**: भारत-भूटान संबंध,**1949 की मैत्री संधि** (2007 में संशोधित) द्वारा अधिशासित किए जाते हैं। इस संधि में उल्लिखित किया गया है कि दोनों देश स्थायी शांति, मैत्री तथा एक-दूसरे के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- **आर्थिक अतिव्यापन**: भारत, भूटान का सबसे **बड़ा व्यापार एवं विकास भागीदार** बना हुआ है। भारत द्वारा 1961 से ही भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं हेतु उदारतापूर्वक योगदान दिया जा रहा है।
- भूटान में भारतीय सहायता से विकसित तीन जलविद्युत परियोजनाओं यथा-**1020 मेगावाट की ताल जलविद्युत परियोजना, 336 मेगावाट की चूखा जलविद्युत परियोजना, 60 मेगावाट की कुरिचू जलविद्युत परियोजना,** को पूर्ण किया जा चुका हैं।

1.7. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत को निर्यात करना आरंभ किया।

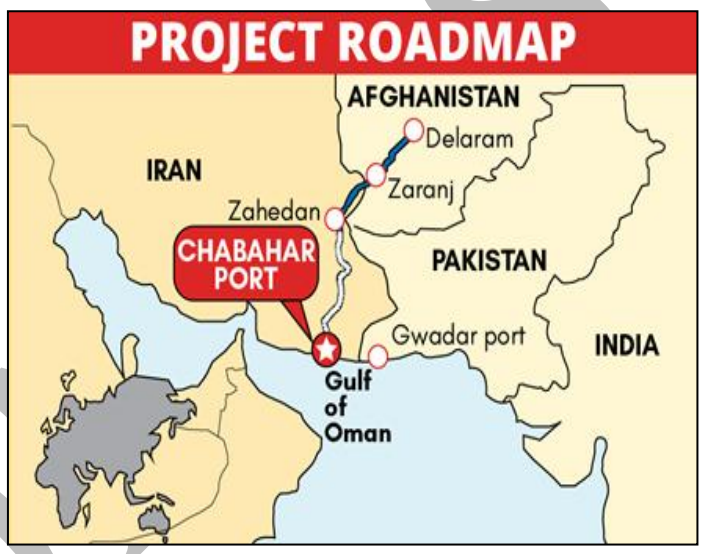

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में चाबहार बंदरगाह की प्रासंगिकता

- भारत द्वारा ईरान में बंदरगाह का विकास भारत को एक वैकल्पिक मार्ग का विकल्प प्रदान कर सकता है।
  - बंदरगाह पर लायी गई वस्तुओं को आसानी से अफगान सीमा तक पहुँचाया जा सकता है तथा जरांज-डेलाराम राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में वितरित किया जा सकता है।
  - भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य अफगानिस्तान की हाजीगक खानों से निष्कर्षित लौह अयस्क का निर्यात कर सकता है।
  - यह अफगानिस्तान के क्षेत्रीय एकीकरण और पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा।

अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अन्य पहलें

- **भारत-अफगानिस्तान वायु गलियारा (India-Afghanistan Air Corridor):** विदेशी व्यापार के लिए कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2016 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य रियायती एयर कार्गो सुविधाओं की घोषणा की गई।
- **अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार और पारगमन समझौता (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement: APTTA):** इस समझौते के तहत, अफगानिस्तान में उत्पादित वस्तुओं को वाघा (भारत) तक पारगमन की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा इसके बदले में, अफगानिस्तान पाकिस्तान को मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के लिए पारगमन मार्ग की अनुमति प्रदान करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (International North South Transport Corridor: INSTC):**
  - हालांकि अफगानिस्तान INSTC का सदस्य देश नहीं है, फिर भी INSTC चाबहार से जरांज और डेलाराम के माध्यम से अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
  - हाल ही में, भारत ने INSTC के तीव्र कार्यान्वयन के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (RZD) और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) ने INSTC पर लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

- यह वर्ष 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में हस्ताक्षरित किया गया एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके संस्थापक सदस्य ईरान, रूस और भारत हैं।
- बाद में INSTC का विस्तार करते हुए इसमें 11 नए सदस्यों अर्थात अज़रबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,

ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया (पर्यवेक्षक सदस्य राष्ट्र) को शामिल किया गया है।

- इसका लक्ष्य समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत और ईरान को और तत्पश्चात ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया से जोड़ना है।

1.8. भारत-प्रशांत एवं हिन्द महासागर क्षेत्र

(Indo-Pacific and Indian-Ocean Region)

1.8.1. क्वाड (QUAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्वाड्रीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD) समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया।

विवरण

- यह **भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान** के मध्य एक अनौपचारिक तंत्र है, और इसे भारत-प्रशांत क्षेत्र में **चीन के प्रभाव** से निपटने हेतु इन देशों के एक संयुक्त प्रयास के रूप में समझा जाता है।
- क्वाड की अवधारणा का श्रेय मूलतः जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया जाता है।
- वर्ष 2007 में इसका संचालन आरम्भ हुआ और 2017 में इसे पुनः प्रवर्तित किया गया।

1.8.2 एशिया रिअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट

(Asia Reassurance Initiative Act: ARIA)

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और इस क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को पुनः सुदृढ़ करने के लिए ARIA अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में **अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक हितों और महत्व को बढ़ाने** के लिए एक बहुमुखी अमेरिकी रणनीति स्थापित करना है।
- नया कानून दक्षिण चीन सागर में **चीन द्वारा कृत्रिम स्थलाकृतियों के अवैध निर्माण तथा सैन्यीकरण** और बलपूर्वक अपनाए जा रहे आर्थिक क्रियाकलापों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई करता है।
- ARIA **भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा** को बढ़ावा देने में **संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी** की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और यह देशों के मध्य राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल देता है।
- भारत के साथ राजनयिक,आर्थिक और सुरक्षा सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए, यह क्षेत्र में अमेरिका के रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए **1.5 बिलियन डॉलर के बजट का प्रावधान करता है।**

सम्बंधित खबर

- अमेरिका ने हाल ही में अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैसिफी कमांड (PACOM) को यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के रूप में नाम दिया, जो यह दर्शाता है कि अमेरिकी सरकार के लिए , पूर्वी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र धीरे-धीरे एक एकल प्रतिस्पर्धी स्थान बन रहा है और भारत इस रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार है ।
- अमेरिका ने इंडो-पैसिफिक बिजनेस फोरम को देश की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए एक आर्थिक स्तंभ के रूप में लॉन्च किया।

रिम ऑफ पैसिफिक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास(RIMPAC)

- अमेरिका द्वारा इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM) के 26वें संस्करण की मेजबानी की गयी, RIMPAC विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है।
- RIMPAC 2018 की थीम "सक्षम, अनुकूल, भागीदार" थी ।
- यह पहला अवसर है जब ब्राजील, इजरायल, श्रीलंका और वियतनाम RIMPAC में भाग ले रहे हैं।
- स्वदेशी निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट, INS सह्याद्री ने RIMPAC में भाग लिया।
- इस वर्ष चीन अनुपस्थित था ,क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य कार्रवाइयों का हवाला देते हुए उसे अमेरिका द्वारा भाग लेने से मना कर दिया गया था।
- भारतीय नौसेना ने अभ्यास के 2006, 2010 और 2012 संस्करणों मे पर्यवेक्षक के रूप मे भाग लिया था।

1.8.3 सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)

(Information Fusion Centre - Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र (IFC-IOR) का शुभारंभ किया है।

सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre: IFC)

- सूचना संलयन केंद्र (IFC) एक **24/7 क्षेत्रीय सूचना साझाकरण केंद्र** है।
- IFC को गुरुग्राम में नौसेना के **सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC)** में स्थापित किया गया है। IMAC राष्ट्र के समुद्र तट का एक समेकित रियल टाइम परिदृश्य उत्पन्न करने के लिए सभी तटीय रडार श्रृंखलाओं को लिंक करने वाला एकल बिंदु केंद्र है।

यह प्लेटफ़ॉर्म क्या कार्य करेगा?

- IFC-IOR की स्थापना **हिंद महासागर क्षेत्र में और इससे परे समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने** के दृष्टिकोण से की गई है।
- इस केंद्र के माध्यम से **समुद्री क्षेत्र संबंधी** जागरुकता में वृद्धि के लिए हिंद महासागरीय देशों के साथ **व्हाइट शिपिंग (white shipping)** या **असैन्य वाणिज्यिक पोत** संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। भारत का 36 देशों के साथ द्विपक्षीय व्हाइट शिपिंग समझौता है।

अन्य संबंधित तथ्य

ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क

- हाल ही में भारत ने **ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क (T-RMN)** समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता खुले सागरों में होने वाली वाणिज्यिक यातायात संबंधी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के विनिमय को संभव बनाता है।
- इस बहुपक्षीय समझौते में 30 देश शामिल हैं तथा इस नेटवर्क का **संचालन इटली द्वारा** किया जाता है।
- यह समझौता देश को हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे समुद्र में संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध व्यापार की जांच करने में सहायता प्राप्त होगी।

VISION IAS

1.8.4 हिंद महासागर सम्मेलन

(Indian Ocean Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हिंद महासागर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 27 अगस्त को वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित किया गया।

हिन्द महासागर सम्मेलन (Indian Ocean Conference)

- हिंद महासागर सम्मेलन, इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के इसके सहयोगियों के साथ शुरू किया गया है।
- यह इस संपूर्ण क्षेत्र के राष्ट्र प्रमुखों/सरकारों, मंत्रियों, विचारकों, विद्वानों, राजनयिकों, नौकरशाहों और पेशेवरों को एक मंच पर एकत्रित करने हेतु एक वार्षिक प्रयास है।
- इस वर्ष के सम्मेलन से पहले सिंगापुर और श्रीलंका द्वारा क्रमशः 2016 और 2017 में इस सम्मेलन के दो सफल संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है।

2. भारत एवं दक्षिण-पूर्व / पूर्व एशिया (India And Southeast /East Asia)

2.1 दिल्ली संवाद का 10 वां संस्करण

(Delhi Dialogue X)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत में दिल्ली संवाद के 10 वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसका विषय था - **"भारत-आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना (Strengthening India-ASEAN Maritime Cooperation)"**।

दिल्ली संवाद के मुख्य बिंदु

- दिल्ली संवाद भारत और आसियान के मध्य राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बद्धता पर चर्चा के लिए एक **प्रमुख वार्षिक ट्रैक 1.5 (कूटनीति का एक प्रकार) कार्यक्रम** है।
- इसका **आयोजन वर्ष 2009 से वार्षिक तौर पर विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली** (Research and Information System for Developing Countries:RIS) के सहयोग से किया जा रहा है।

एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान)

- यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके सदस्यों के मध्य आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 1967 में पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके अंतर्गत 10 सदस्य राज्य- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (Research and Information System for Developing Countries:RIS)

- यह नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञ हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ता में विकासशील देशों के साथ सहयोग करना है।

जब विभिन्न आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक अभिकर्ता विवादों का समाधान करने हेतु एकजुट होकर कार्य करते हैं तो उसे **ट्रैक 1.5 कूटनीति** कहा जाता है।

2.2 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

(East Asia Summit)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने सिंगापुर में आयोजित 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भागीदारी की।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit: EAS) के संबंध में

- यह **क्षेत्रीय देशों की वार्षिक** बैठक है जिसे 2005 में आरंभ किया गया था। यह एक **आसियान (ASEAN) केंद्रित मंच** है जिसकी **अध्यक्षता केवल एक आसियान सदस्य** द्वारा ही की जा सकती है।
- इसके सदस्यों में आसियान **(Association of South East Asian Nations: ASEAN)** के 10 राष्ट्र तथा 8 अन्य राष्ट्र (अर्थात् **ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका**) सम्मिलित हैं।
- EAS सदस्य **विश्व की लगभग 54% जनसंख्या** का प्रतिनिधित्व करते हैं और **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 58% के** लिए उत्तरदायी हैं।

VISION IAS

- EAS ढांचे के भीतर **क्षेत्रीय सहयोग के छह प्राथमिक क्षेत्र** निम्नलिखित हैं -
  - पर्यावरण एवं ऊर्जा,
  - शिक्षा,
  - वित्त,
  - वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और महामारी,
  - प्राकृतिक आपदा प्रबंधन,
  - आसियान कनेक्टिविटी।

2.3 भारत-दक्षिण कोरिया

(India-South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा से संबंधित प्रमुख तथ्य

- मून द्वारा **लोग (पीपुल), समृद्धि (प्रॉस्पेरिटी) और शांति (पीस)** के लिए सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक **'3P प्लस'** की संकल्पना प्रस्तुत की गई।
- भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नोएडा में विश्व में **सैमसंग के सबसे बड़े मोबाइल विनिर्माण संयंत्र** का उद्घाटन किया गया।
- **चीन के बाद दक्षिण कोरिया दूसरा देश** होगा जिसके साथ भारत द्वारा **अफगानिस्तान में संयुक्त परियोजना** का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत में कोरियाई निवेशों को बढ़ावा देने हेतु भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा **'कोरिया प्लस'** नामक पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल को जून, 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

नई दक्षिणी नीति

- नई दक्षिण कोरियाई सरकार अपने चार पारंपरिक, प्रमुख राजनयिक भागीदारों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस के समान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही है।
- यह 'नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी (NEAPC)' को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत अनुसरण किये जाने वाले नए नीतिगत दिशा-निर्देश हैं।
- नई दक्षिणी नीति, NEAPC के 3 भागों में से एक है जिसमें आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ मजबूत संबंध सम्मिलित है।

2.4 भारत-जापान

(India-Japan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 13वें भारत-जापान वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु टोक्यो की यात्रा की।

विवरण:

- **आर्थिक सहयोग में वृद्धि:** इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जापान द्वारा भारत के समक्ष रखा गया 75 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय (currency swap) का प्रस्ताव है। यह पिछले प्रस्ताव की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक था।
- **वृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी**
- **भारत में -** आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA) के माध्यम से जापान भारत में अग्रणी वित्त प्रदाता रहा है।
- इसने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा तथा अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल प्रणाली जैसी भारत की **महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** हेतु समर्थन प्रदर्शित किया है।

VISION IAS

- **रक्षा संबंध:** दोनों देशों ने **एक्वीजीशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट** पर वार्ता प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस समझौते के क्रियान्वित होने पर भारतीय नौसेना के बेस पर जापानी जहाजों को ईंधन और सर्विसिंग प्राप्त हो सकेगी।

2.5 भारत-इंडोनेशिया

(India-Indonesia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को **व्यापक सामरिक साझेदारी** के स्तर तक बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है।
- इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने हेतु **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिकोण** को घोषित किया गया
- दोनों क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता का दोहन करने हेतु अंडमान व निकोबार और आचेह के मध्य संपर्क (link) स्थापित करना।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्त्व

- **सामरिक महत्त्व:** हाल ही में, इंडोनेशिया ने भारतीय निवेश के लिए मलक्का जलसंधि के समीप स्थित सामरिक द्वीप **सबांग** तक पहुंच प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की है। यह **भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदाता** बनने में सहायता करेगा।
- हिन्द महासागर में चीन की उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, व्यापार एवं निवेश इत्यादि हेतु इंडोनेशिया महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारत के **SAGAR (सिक्योरिटी एन्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन)** का दृष्टिकोण, इंडोनेशिया के ग्लोबल मैरीटाइम फलक्रम के साथ सुमेलित है।

संबंधित अन्य तथ्य

भारत और सिंगापुर ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो विवादित दक्षिण चीन सागर के पास अवस्थित सिंगापुर के **चांगी नौसैनिक अड्डे** पर भारतीय नौसेना के जहाजों को लॉजिस्टिक समर्थन की अनुमति प्रदान करेगा।

2.6 भारत-ऑस्ट्रेलिया

(India-Australia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने **"इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035"** के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह एक विज़न दस्तावेज है जो भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप प्रदान करेगा।

यह विज़न क्या है और क्यों है ?

- यह **तीन स्तंभों वाली रणनीति**- आर्थिक संबंधों, भू-सामरिक संलग्नता एवं रीथिंकिंग कल्चर- सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमेसी पर बल पर आधारित है।
- इस रिपोर्ट का फोकस **भारत की एक स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के निर्माण** पर है।
- इस रिपोर्ट में विकसित हो रहे भारतीय बाजार में **10 क्षेत्रकों और 10 राज्यों** की पहचान की गई है जिनमें ऑस्ट्रेलिया को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हैं और जहां उसे अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्हें एक फ्लैगशिप क्षेत्रक (शिक्षा), तीन अग्रणी क्षेत्रकों (कृषि व्यवसाय, संसाधन एवं पर्यटन) और छह सम्भावनापूर्ण क्षेत्रकों (ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं, अवसंरचना, खेल, विज्ञान और नवाचार) में विभाजित किया गया है।

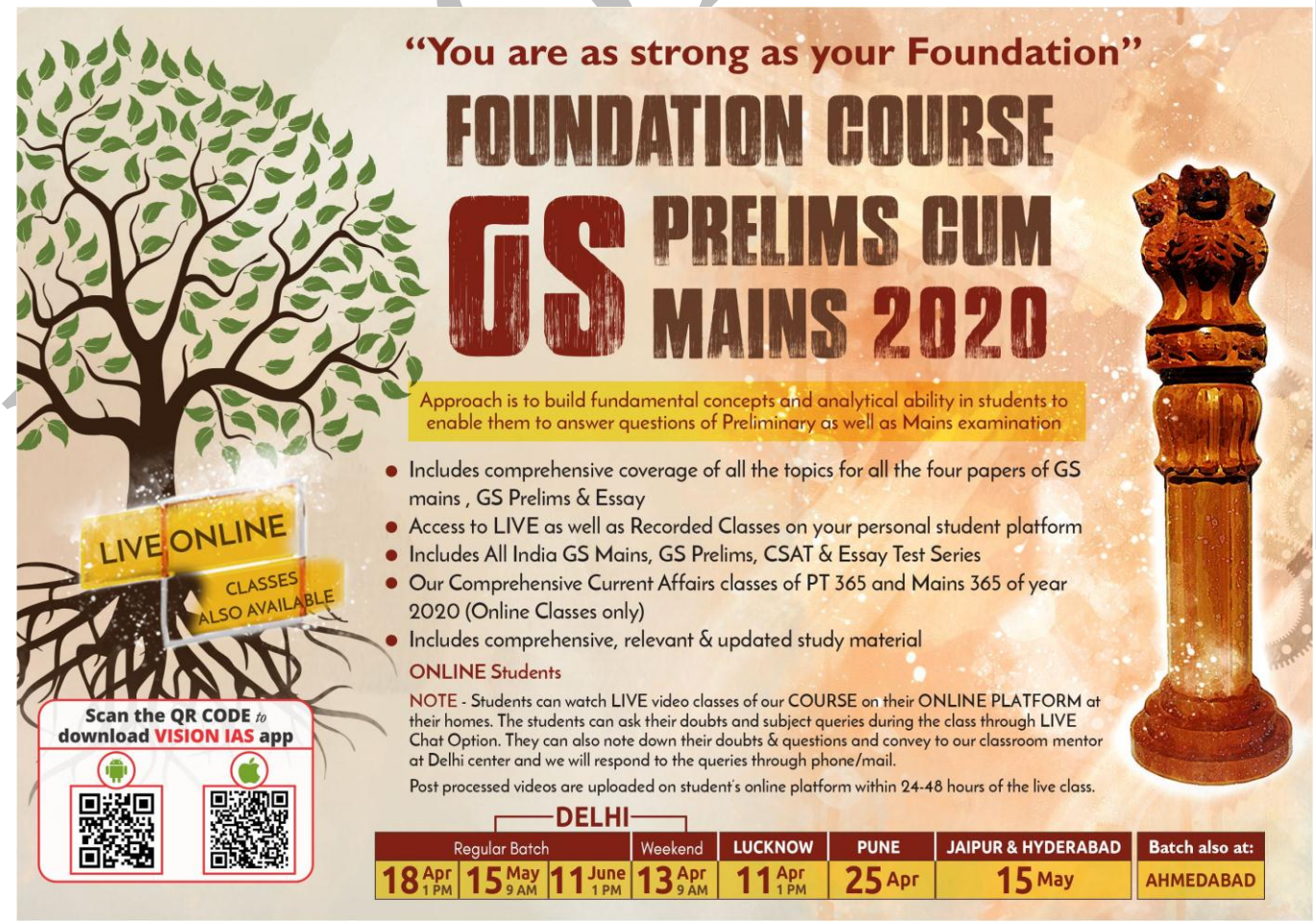

3. भारत और मध्य एशिया / रूस (India and Central Asia / Russia)

3.1. प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता

(1st India-Central Asia Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता का आयोजन **उज्बेकिस्तान के समरकंद** में किया गया।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में **अफगानिस्तान, किर्गिज़ गणतंत्र, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा कज़ाख़स्तान** के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था।
- भारत द्वारा आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर बेहतर समन्वय हेतु **एक क्षेत्रीय विकास समूह के गठन** का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।
- भारत ने मध्य एशिया के भू-आबद्ध देशों के साथ **एयर कॉरिडोर्स के निर्माण हेतु एक वार्ता** भी प्रस्तावित की है।

मध्य एशिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा फरखोर (ताजिकिस्तान) में है। इसे भारतीय वायु सेना (IAF) और ताजिक वायु सेना द्वारा संचालित किया जाता है।
- भारत और **उज्बेकिस्तान** ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कज़ाख़स्तान के बाद, उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला दूसरा मध्य एशियाई देश बन जाएगा।

इस क्षेत्र से जुड़ने के भारत के प्रयास

- **कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया पॉलिसी:** मजबूत राजनीतिक संबंधों, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक साझेदारी आदि सहित इसका शुभारम्भ 2012 में किया गया था।
- **अश्गाबात समझौता:** भारत ने अश्गाबात समझौते (एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे) को स्वीकार किया है, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।
- **तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI):** यह प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो गालकिनिश क्षेत्र (तुर्कमेनिस्तान) - हेरात - कंधार - मुल्तान - फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) से होकर गुजरती है।
- **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU):** भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्तालाप कर रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में बेलारूस, कज़ाख़स्तान , रूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** भी एक प्रभावी साधन है जिसके तहत इन देशों के युवा पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के साथ मानव क्षमता का विकास किया जाता है।

3.2. भारत-रूस संबंध

(India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत की यात्रा की।

शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां

रक्षा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण- सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि दोनों देश कॉउंटरिंग अमेरिका **एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)** के अंतर्गत अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद S-400 मिसाइल प्रणाली के संबंध में सौदा करने में सफल रहे।

S-400

- रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ को नाटो (NATO) द्वारा SA-21 ग्रोलर नाम दिया गया है। यह विश्व की सबसे खतरनाक ऑपरेशनली डिप्लॉयड **लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार** करने वाली आधुनिक मिसाइल प्रणाली है।
- S-400 एक गतिशील प्रणाली है जो **विविध कार्य करने वाले रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टार्गेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, कमांड तथा कंट्रोल सेंटर** से लैस है।

कॉउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)

- यह USA का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करना है।
- इस अधिनियम के तहत **डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट** ने रक्षा एवं खुफिया क्षेत्र की लगभग सभी प्रमुख 39 रूसी इकाइयों को अधिसूचित किया है, जिनके साथ संव्यवहार करना तृतीय पक्ष सम्बन्धी प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

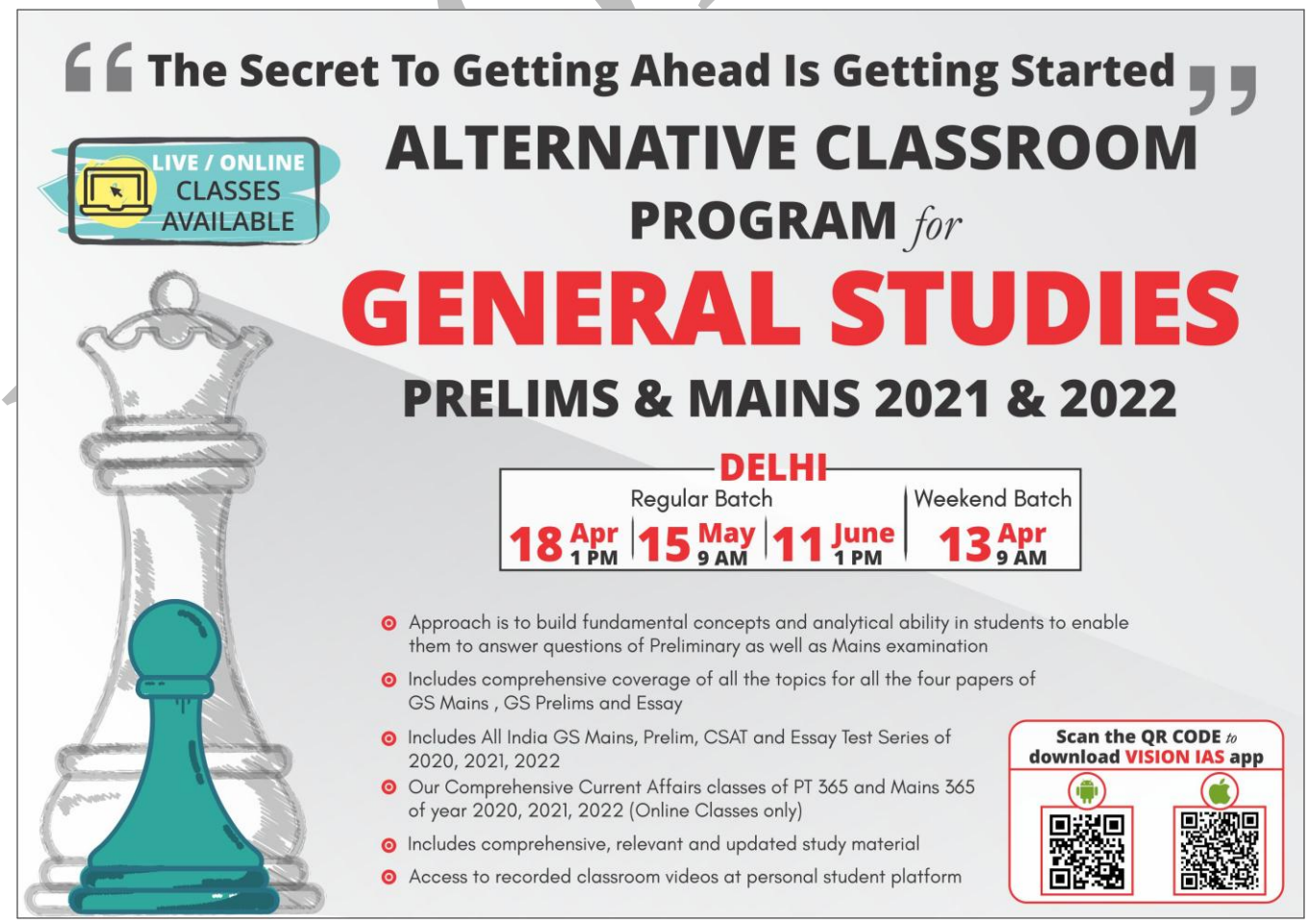

4. भारत एवं पश्चिमी एशिया (India and West Asia)

4.1. भारत-सऊदी अरब

(India-Saudi Arabia)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 3 देशों (जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे) के अपने दौरे के एक भाग के रूप में भारत की यात्रा की।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- इस यात्रा ने भारत और सऊदी अरब के मध्य रणनीतिक साझेदारी को व्यापकता एवं सुदृढ़ता प्रदान की है, साथ ही **आतंकवाद का सामना करने सहित सुरक्षा सहयोग** में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
- सऊदी अरब ने भारत के हजयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत के हज कोटे में लगभग 25,000 की वृद्धि की, जिससे अब प्रतिवर्ष 2 लाख लोग हज यात्रा पर जा सकते हैं।
  - सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हज सब्सिडी (रियायती हवाई किराए के रूप में) को 2012 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत **समाप्त कर दिया गया था।**

अतिरिक्त जानकारी

- भारत और सऊदी अरब ने दो प्रमुख घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं:
- **दिल्ली घोषणा (2006)** में दोनों पक्ष "एवरग्रीन" दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से कच्चे तेल की आपूर्ति की "विश्वसनीय, स्थिर एवं बढ़ी हुई" मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए थे।
- दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने हेतु 2010 में **रियाद घोषणा पत्र** पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4.2. भारत-संयुक्त अरब अमीरात

(India-UAE)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-यूएई भागीदारी शिखर सम्मेलन (India-UAE Partnership Summit: IUPS) का आयोजन दुबई में किया गया, जिसमें भारत का उद्देश्य **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** के सदस्य देशों से व्यापक पैमाने पर निवेश के अवसरों को आकर्षित करना था।

इस बारे में अन्य जानकारी

- IUPS दोनों देशों के मध्य एक आयोजन है, जिसे विशेष रूप से UAE से भारत और भारत से UAE में निवेश को बढ़ावा देने हेतु अभिकल्पित किया गया है।
- IUPS-2018 के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर फोकस रहा: शिक्षा और SME's में निवेश, कौशल विकास, नियोजन और निवेश के अवसरों के इच्छुक भारतीय राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

- यह अरब प्रायद्वीप में छह देशों का **एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है,** जिसमें **बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** शामिल हैं।
- 1981 में स्थापित, GCC सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने हेतु **प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।**

- इन देशों की भौगोलिक निकटता, समान राजनीतिक व्यवस्था और साझा सामाजिक-सांस्कृतिक उद्देश्यों के कारण, **इनका तात्कालिक लक्ष्य ईरान-इराक युद्ध के उपरांत व्युत्पन्न खतरों से स्वयं को सुरक्षित करना था।**
- **इसके सभी सदस्य देशों में राजतंत्रात्मक शासन विद्यमान है**, जिनमें से तीन में संवैधानिक राजतंत्र (कतर, कुवैत, और बहरीन), दो में पूर्ण राजतंत्र (सऊदी अरब और ओमान) और एक में संघीय राजतंत्र (संयुक्त अरब अमीरात, जिसका गठन सात सदस्य राज्यों से हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में अपने स्वयं के शासक के साथ एक पूर्ण राजतंत्र विद्यमान है)।

4.3. दुक़्म पत्तन

(Duqm Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत को सैन्य उपयोग के लिए **ओमान स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दुक़्म पत्तन के उपयोग का अधिकार मिला।**

दुक़्म पत्तन के बारे में

- यह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, जहाँ से अरब सागर एवं हिंद महासागर की निगरानी की जा सकती है।
- इसकी **रणनीतिक अवस्थिति** है तथा यह **ईरान** के **चाबहार पत्तन** के अत्यंत निकट भी है।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र में **चीनी प्रभाव एवं गतिविधियों से निपटने हेतु भारत की समुद्री रणनीति का एक भाग है।**
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा सेशेल्स में असम्पशन (Assumption) द्वीप तथा मॉरीशस में अगालेगा (Agalega) द्वीप को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में दुक्म पत्तन के उपयोग की अनुमति भारत के सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

5. भारत और अफ़्रीका (India and Africa)

5.1. अफ्रीका में भारत का बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव

(India Increasing Diplomatic Footprints in Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने उन अफ्रीकी देशों में राजदूतों की नियुक्ति शुरू कर दी है जहां पहले इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

अफ़्रीका में कुछ अन्य घटनाक्रम

- **भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन** सभी अफ्रीकी देशों की भागीदारी के साथ अफ्रीकी-भारतीय संबंध का एक आधिकारिक मंच है।
- **एशिया-अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** भारत, जापान और अनेक अफ़्रीकी देशों की सरकारों के मध्य एक आर्थिक सहयोग समझौता है।
- **अफ़्रीकी विकास बैंक (AfDB):** भारत 1983 में AfDB में सम्मिलित हुआ और इसकी साझा पूंजी में अपना योगदान दिया। साथ ही इसने अनुदानों और ऋणों के लिए भी पूंजी सहायता प्रदान की।
- **अफ़्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (African Continental Free Trade Area: AfCFTA)** अफ़्रीकी संघ के सदस्यों के बीच अफ़्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते का परिणाम है। अब तक 49 देश इसमें शामिल हो चुके हैं।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, गिरिंका कार्यक्रम के लिए **भारत** ने रवेरू (Rweru) गांव के ग्रामीणों को **स्थानीय स्तर पर खरीदी गई 200 गायों** को उपहार में दिया।
- **गिरिंका कार्यक्रम** रवांडा की अपनी तरह की एक अनूठी **सामाजिक सुरक्षा योजना** है, जिसके तहत इस क्षेत्र में रहने वाले निर्धनतम लोग **सरकार से गायें प्राप्त करते हैं** और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए पहली बछिया को उपहार स्वरुप अपने पड़ोसी को देते हैं।

5.2. ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती नेटवर्क परियोजना

(E-Vidyabharti and E-AarogyaBharati Network Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय (MEA) और टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) ने **अफ़्रीका में 'ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (e-VBAB) नेटवर्क परियोजना'** के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

e-VBAB नेटवर्क परियोजना के बारे में

- यह प्राथमिक रूप से एक तकनीकी उन्नयन (डिजिटल ब्रिज) तथा **पैन-अफ़्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट का विस्तार** है।

- पैन-अफ़्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत ने अफ़्रीकी देशों में सैटलाइट कनेक्टिविटी, टेली-मेडिसिन और टेली-एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए एक फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क की स्थापना की है।
- सरकार के प्रतिनिधि के रूप में TCIL (भारत सरकार का एक उपक्रम) इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

- इसका **वित्तपोषण पूर्णतः भारत सरकार द्वारा** किया जाएगा।
- **ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-आरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन)** के लिए दो पृथक प्लेटफॉर्म होंगे जो एक वेब-आधारित तकनीक के माध्यम से भारत और प्रतिभागी अफ़्रीकी देशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों को आपस में जोड़ेंगे।

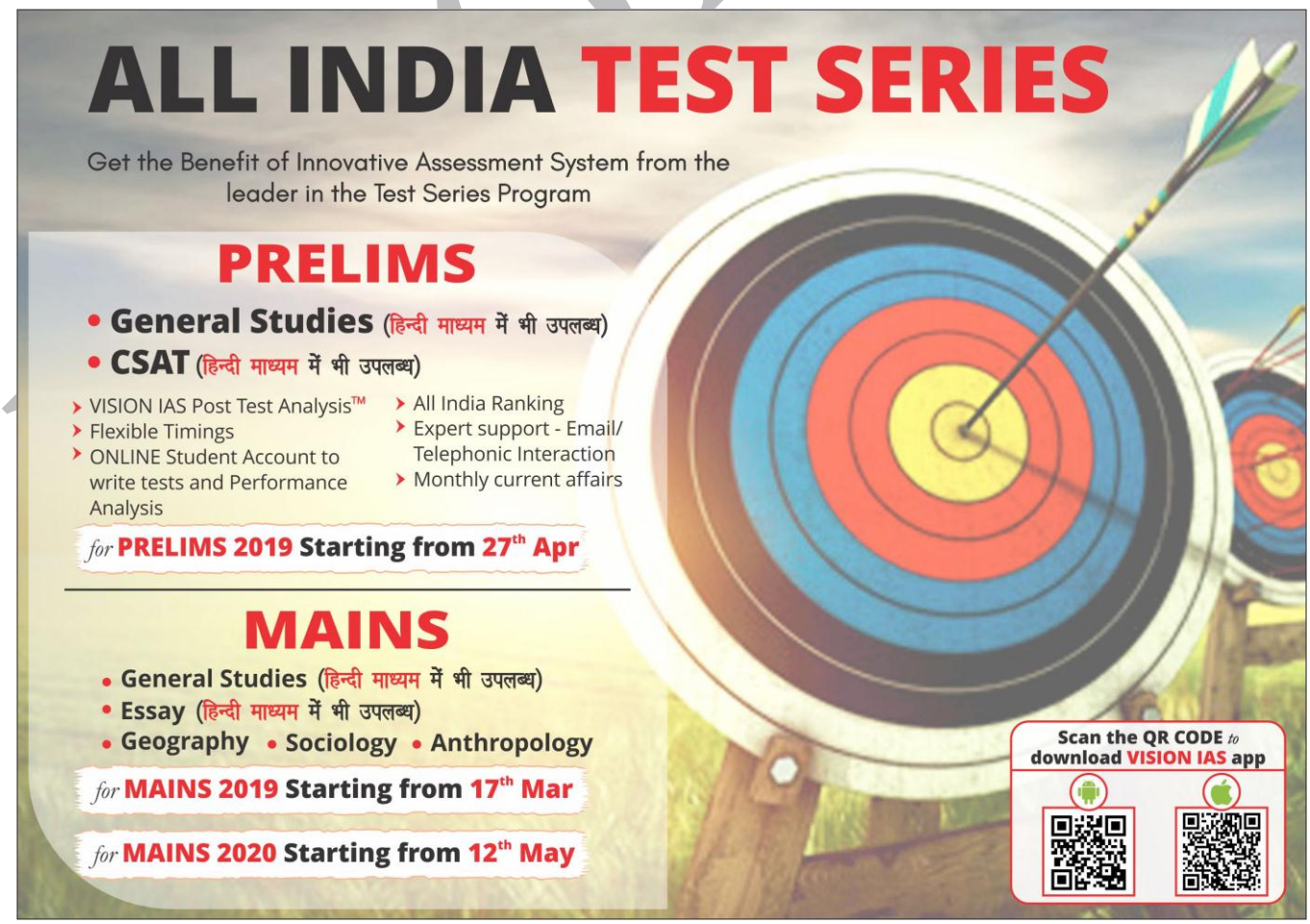

6. अमेरिका (USA)

6.1. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता

(India USA 2+2 Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में अपनी 2+2 वार्ता का पहला संस्करण आयोजित किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री तथा उनके अमेरिकी समकक्षों ने सहभागिता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने लंबे समय से विचाराधीन **संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (Communications Compatibility and Security Agreement: COMCASA)** पर भी हस्ताक्षर किए।

वार्ता के प्रमुख परिणाम

- **रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना:** US डिफेंस इनोवेशन यूनिट (DIU) और भारतीय रक्षा नवाचार संगठन - रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (Indian Defence Innovation Organization — Innovation for Defence Excellence: DIO-iDEX) के मध्य एक आशय ज्ञापन (Memorandum of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए। यह **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (Defense Technology and Trade Initiative: DTTI)** के माध्यम से सह-उत्पादन और सह-विकास के लिए संयुक्त परियोजनाओं के सन्दर्भ में कार्य करेगा।
- **औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक (Industrial Security Annex: ISA) पर वार्ता:** दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर वार्ता आरम्भ करने की तैयारी की भी घोषणा की। यह रक्षा उद्योग के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय निजी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए एक ISA आवश्यक है और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भारत में रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर खोल दिया गया है।

COMCASA के बारे में

- COMCASA उन चार आधारभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका अपने सहयोगियों और घनिष्ठ भागीदारों के साथ करता है। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के **मध्य पारस्परिकता** एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रौद्योगिकी की बिक्री को सुविधाजनक बनाता है।
- COMCASA वस्तुतः **कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन ऑन सिक्यूरिटी मेमोरंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (CISMOA)** का एक विशिष्ट भारतीय संस्करण है। यह तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है और 10 वर्षों के लिए मान्य है। दोनों देश इस समझौते को ऐसे तरीके से लागू करेंगे जो दूसरे पक्ष के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुरूप हो।
    - भारत द्वारा **वर्ष 2002** में **जनरल सिक्यूरिटी ऑफ़ मिलिट्री इनफार्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)** तथा **वर्ष 2016** में **लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA)** पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वर्तमान में केवल **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जिओ-स्पेशियल कोऑपरेशन (BECA)** ही शेष है। .
- भारत को **कंबाइंड एंटरप्राइज रीजनल इनफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम (CENTRIXS)** तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी। यह अमेरिकी नौ-सैन्य जहाजों का सुरक्षित संचार प्रणाली नेटवर्क है।

संबंधित समाचार

- US ने भारत को **स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथरज़ैशन (SAT-1) का दर्जा** प्रदान किया है जिसके तहत भारत को नाटो (NATO) गठबंधन के सदस्यों के समान ही नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

VISION IAS

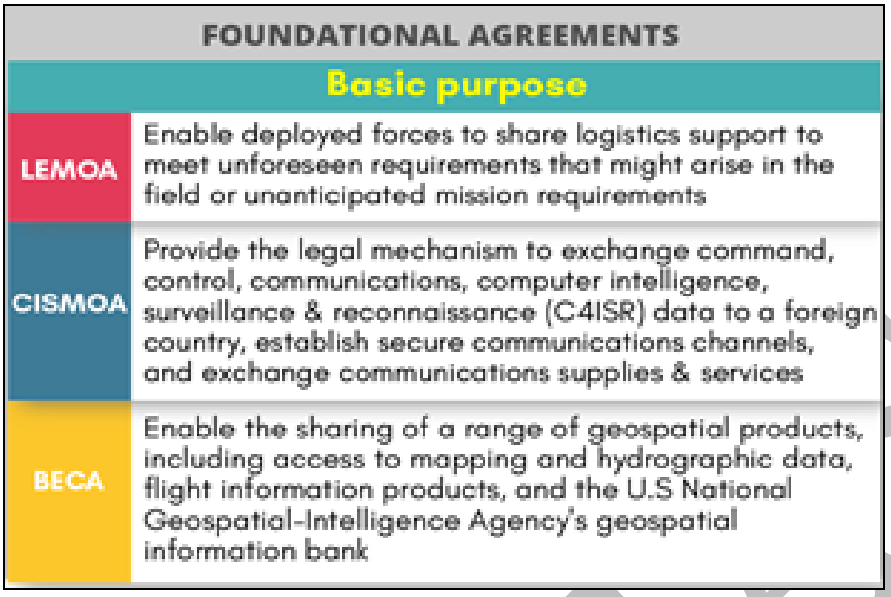

6.2. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

(India-US Trade Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका द्वारा सभी देशों के लिए 94 उत्पादों पर वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली **(Generalized System of Preferences: GSP)** के अंतर्गत प्रदत्त लाभ समाप्त कर दिए गए।

वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली क्या है?

- यह एक गैर-पारस्परिक अधिमान्य प्रशुल्क प्रणाली है जो **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत** से छूट का प्रावधान करती है।
- इसमें **प्रदाता देशों (विकसित देशों) के बाजारों में लाभार्थी देशों (विकासशील देशों)** द्वारा निर्यात किए जाने वाले पात्र उत्पादों पर MFN टैरिफ के अंतर्गत निम्न टैरिफ युक्त या पूर्णतया शुल्क मुक्त प्रवेश शामिल है।
- GSP मापदंडों को 1968 में आयोजित **UNCTAD सम्मेलन में अंगीकृत** किया गया था। इसे 1971 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (अब WTO) द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- GSP का **उद्देश्य क्षमता विकास और व्यापार को बढ़ावा** देकर निर्धन देशों को विकास हेतु समर्थन प्रदान करना था।
- अमेरिका, EU, UK, जापान इत्यादि सहित 11 विकसित देशों ने विकासशील देशों से आयात करने के लिए GSPs लागू किए हैं।

संबंधित तथ्य

विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (Specially Designated Global Terrorists: SDGT)

- भारत ने संयुक्त राज्य के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा की गई उस घोषणा का स्वागत किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के तीन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) आतंकवादियों और आतंकवादी वित्त-पोषकों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों (SDGT) के रूप में नामित किया गया है।
- SDGT एक निर्दिष्ट नाम है जो US एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत प्राधिकृत है।
- आतंकवादी व्यक्तियों और समूहों के नामों को निर्दिष्ट किया जाना ऐसे व्यक्तियों व संगठनों को उद्घाटित कर देता है एवं उन्हें अलग-थलग कर देता है। साथ ही उन्हें अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने से वंचित कर दिया जाता है और अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन उनकी संपत्ति और हितों को ब्लॉक कर दिया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- UNSCR 1267
  - हाल ही में, 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत अजहर को नामित करने के प्रस्ताव को चीन द्वारा चौथी बार अवरुद्ध किया गया है।
  - UNSC द्वारा नामित किया जाना आतंकवादियों को सम्पत्ति फ्रीज़ किये जाने, यात्राओं पर प्रतिबंध लगाये जाने और हथियार प्रतिषेध का पात्र बना देता है।

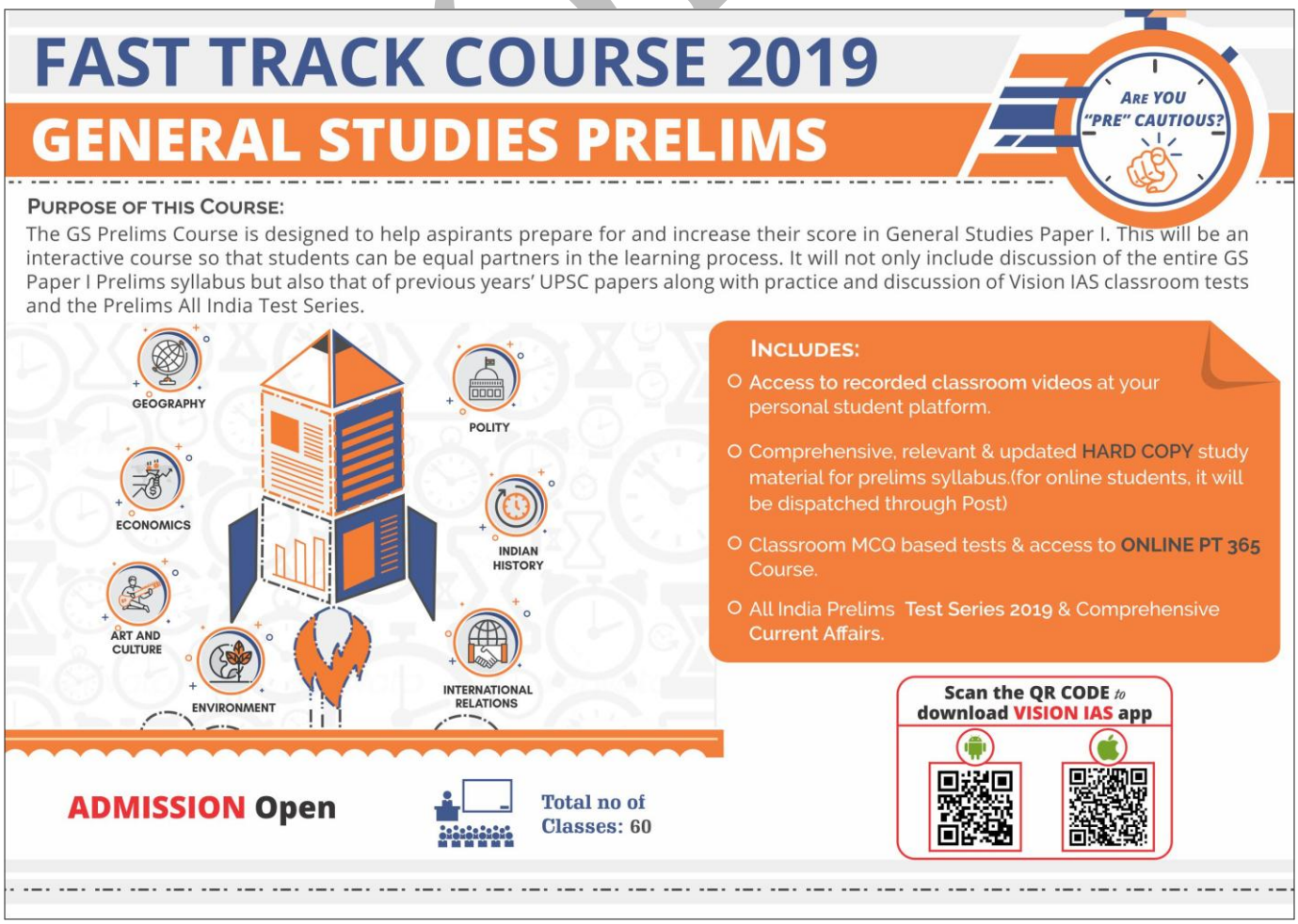

7. अंतरराष्ट्रीय संगठन/संस्थान (International Organization/Institutions)

7.1. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौता

(Un Global Counter-Terrorism Coordination Compact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने **"संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौते"** के एक नए फ्रेमवर्क का अनावरण किया है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समझौते के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, 36 संगठनात्मक संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) और विश्व सीमा-शुल्क संगठन के मध्य एक समझौता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग पूरा करना है।
- **उद्देश्य**
  - यह सुनिश्चित करना कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी रणनीति** और अन्य प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने के लिए **सदस्य देशों को उनके अनुरोध पर समन्वित क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान करती है।**
  - **सुरक्षा परिषद के अधिदेशित निकायों और संयुक्त राष्ट्र की अन्य प्रणालियों के मध्य घनिष्ठ सहयोग** को बढ़ावा प्रदान करना।
  - इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-विरोधी समन्वय समिति** करेगी। इस समिति की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-विरोधी कार्यालय के अवर-महासचिव करेंगे।
  - यह 2005 में स्थापित **आतंकवाद-विरोधी कार्यान्वयन कार्यबल** का स्थान लेगी।

7.2. संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली

(UN development system)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के पुनर्निर्धारण (repositioning) पर एक संकल्प अंगीकृत किया गया है।

संकल्प से संबंधित अन्य तथ्य

- यह **देश की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित** करने के लिए यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रेमवर्क (UNDAFs) की मांग करता है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से ये प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं मुक्त और समावेशी वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय सरकारों के पूर्ण परामर्श और सहमति से तय की जाएँगी।
- इस पुनर्निर्धारण में, **पुनर्निर्मित रेजिडेंट कोआर्डिनेशन (RC) प्रणाली** की स्थापना के लिए एक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक देश में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के **रेजिडेंट कोआर्डिनेटर** (RC) के कार्य, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के रेजिडेंट प्रतिनिधि के कार्यों से पृथक हैं।
- यह नई RC प्रणाली के वित्तपोषण - **हाइब्रिड फंडिंग**, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषण के संचालन हेतु एक कार्यान्वयन योजना भी प्रस्तुत करता है।
- यह **जवाबदेही और परिणामों** पर अत्यधिक फोकस करने के साथ **राष्ट्रीय स्वामित्व** पर बल देता है।

संबंधित तथ्य

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह

- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (UNSDG) विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करने वाले 36 UN कोषों, कार्यक्रमों, विशेषीकृत एजेंसियों, विभागों और कार्यालयों को एकजुट करता है।
- UNSDG सदस्यों के मध्य निर्णय-निर्माण सर्वसम्मति पर आधारित होता है तथा यह समस्त UNSDG कार्यकारी तंत्रों हेतु बाध्यकारी होता है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

पैसिफिक आइलैंड्स फोरम को संयुक्त राष्ट्र (जिनेवा) में **एक स्थायी पर्यवेक्षक कार्यालय की स्थापना** हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

- पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (PIF) **एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य प्रशांत महासागर के देशों और क्षेत्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि करना है।**
- इसे "सदस्य सरकारों के समर्थन में कार्य करने तथा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने हेतु वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था।"
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो नए विभागों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है, ये हैं- **डिपार्टमेंट ऑफ़ मैनेजमेंट स्ट्रैटजी, पालिसी एंड कंप्लायंस (DMSPC) और डिपार्टमेंट ऑफ़ ऑपरेशनल सपोर्ट (DOS)।**

7.3. संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली बल

(UN Peacekeeping Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

7 गढ़वाल राइफल्स इन्फैंट्री बटालियन ग्रुप को **दक्षिण सूडान में शांति मिशन में "नि:स्वार्थ सेवा" के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक** से सम्मानित किया गया।

शांति बहाली से संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना विभिन्न देशों को संघर्ष से शान्ति स्थापना के **कठिन एवं प्रारंभिक संक्रमण काल में सुरक्षा तथा राजनीतिक एवं शांति स्थापन सहायता** प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपना **प्रथम शांति अभियान 1948 में फिलिस्तीन** में नियुक्त किया गया था।
- 30 अप्रैल, 2018 तक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में **क्रमशः इथियोपिया, बांग्लादेश और भारत का सर्वाधिक योगदान** था। 27% से अधिक शांति सैनिक भारतीय उपमहाद्वीप से थे।
- चूंकि संयुक्त राष्ट्र का अपना कोई सैन्य बल नहीं है, इसलिए सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर सैन्य सहायता प्रदान की जाती है।
- शांति बहाली सैनिकों का **वेतन भुगतान उनकी अपनी सरकार द्वारा** देश में उनकी निर्धारित राष्ट्रीय रैंक और वेतनमान के अनुसार किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को संयुक्त राष्ट्र के **सदस्य देशों द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर** वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। शांति बहाली अभियानों की नियुक्ति, प्रबंधन या उनके विस्तार संबंधी निर्णय **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा** लिए जाते हैं।

अन्य सम्बंधित तथ्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- यह संयुक्त राष्ट्र के **छह प्रमुख अंगों में से एक है** (अन्य अंग हैं: महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय)।
- इसे **अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को शामिल करने तथा इसके चार्टर में किसी भी परिवर्तन को स्वीकृति देने से संबंधित उत्तरदायित्व** प्रदान किये गए हैं।
- इसकी शक्तियों में शांति बहाली अभियानों की नियुक्ति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के आरोपण के साथ-साथ संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाइयों को अधिकृत करना शामिल है - यह संयुक्त राष्ट्र का **एकमात्र निकाय** है **जिसे सदस्य देशों को बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार प्राप्त है**।.
- इसमें **पांच स्थायी सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य** शामिल हैं। **वीटो शक्ति प्राप्त पांच स्थायी सदस्य** चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। **10 गैर-स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।**
- हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी और बेल्जियम को गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है।

VISION IAS

7.4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(United Nations Human Rights Council: UNHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह दोषारोपण करते हुए UNHRC से अपनी सदस्यता त्याग दी है कि यह इजराइल के विरुद्ध स्थायी पूर्वाग्रह से ग्रसित है।**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के विषय में

- यह **सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकारों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है,** जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी।
- परिषद के 47 सदस्य हैं, **जिनका निर्वाचन** तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से **महासभा द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।**
- हाल ही में **भारत महासभा द्वारा सर्वाधिक मतों के साथ** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का सदस्य निर्वाचित किया गया है।
- सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष भौगोलिक आवर्तन के आधार पर किया जाता है।
- कोई भी सदस्य **लगातार दो से अधिक तीन वर्षीय कार्यकालों हेतु** चयनित नहीं हो सकता।

7.5 मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मत

(ICJ on Decolonization of Mauritius)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक सलाहकारी राय के रूप में मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को **चागोस द्वीप समूह** उसे सौंपना के लिए कहा है।

अन्य संबन्धित तथ्य

- ब्रिटेन के अनुसार, मॉरीशस सरकार द्वारा परामर्शीय मत हेतु किया गया अनुरोध एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करता है, जिसके अनुसार **कोई राज्य अपनी सहमति के बिना अपने द्विपक्षीय विवादों को न्यायिक निपटान के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।**
- मॉरीशस के अनुसार **चागोसियाइयों (अफ्रीकी जनजाति)** की वापसी के अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित करने और डिएगो गार्सिया (चागोस द्वीपों में से एक) पर अमेरिकी बेस हेतु पट्टे को नवीनीकृत करने के ब्रिटेन के "एकपक्षीय" निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court Justice: ICJ) के बारे में

- यह 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसको परमानेंट कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (राष्ट्र संघ के तहत स्थापित) के स्थान पर स्थापित किया गया था।
- यह न्यायालय दो प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है:
  - **विवादास्पद मामले -** इसमें राष्ट्रों के मध्य के वे कानूनी विवाद शामिल हैं जो उनके द्वारा निपटान हेतु इसके समक्ष प्रस्तुत किये गये हों। केवल राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र के सदस्य और अन्य राष्ट्र जो न्यायालय के क़ानून के पक्षकार बन गए हैं या जिन्होंने कुछ शर्तों के तहत इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है) विवादास्पद मामलों में पक्षकार हो सकते हैं।
  - **सलाहकारी या परामर्शी कार्यवाही** - इसमें निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा किये गये परामर्श सम्बन्धी अनुरोध शामिल हैं। निर्णयों के विपरीत, न्यायालय का सलाहकारी मत बाध्यकारी नहीं है।
- इसके क्षे**त्राधिकार का विस्तार व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों या निजी समूहों के आवेदनों के संबंध में नहीं** है और यह केवल राष्ट्रों के अधिकारों और दायित्वों पर लागू होता है।
- इसमें **15 न्यायाधीश** सम्मिलित होते हैं, जो **9 वर्ष के कार्यकाल** के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **प्रत्येक 3 वर्ष में पांच न्यायाधीश निर्वाचित** किए जाते हैं।
- इसका मुख्यालय पीस पैलेस, **हेग, नीदरलैंड** में है और भारत ICJ का संस्थापक सदस्य है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क में अवस्थित नहीं है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- **अगालेगा प्रोजेक्ट** में भारत की भागीदारी ने मॉरीशस में असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी है।
- मार्च 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत द्वारा लगभग 87 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके माध्यम से हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण, इसके रनवे का विस्तार और जेटियों (jetties) का नवीनीकरण किया जाएगा।
- अगालेगा द्वीपसमूह के अंतर्गत मॉरीशस के मुख्यक्षेत्र के उत्तर में अवस्थित दो विरल रूप से आवासित द्वीप सम्मिलित हैं।

7.6 ब्रिक्स

(BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई तक हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु - '**अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग**' थी।

जोहान्सबर्ग घोषणा से संबंधित तथ्य

- **चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व:** यह चौथी औद्योगिक क्रांति के संचालकों में से एक के रूप में संस्कृति के महत्व और भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और इसके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक अवसरों को स्वीकार करता है। **यह नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (PartNIR) की स्थापना की अनुसंशा करता है।**
- **'अफ्रीका तक ब्रिक्स की पहुंच' और 'ब्रिक्स प्लस' प्रारूप:** 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स प्लस को आरंभ किया गया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देश भी सम्मिलित थे। इसे जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान भी अपनाया गया था। यह विभिन्न नेताओं के मध्य नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।

ब्रिक्स (BRICs) संबंधी तथ्य

- **ब्रिक्स** आधिकारिक रूप से 2006 में गठित इस संगठन में मूल रूप से चार उभरती अर्थव्यवस्थाएं **ब्राजील, रूस, भारत और चीन** शामिल थीं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तदुपरांत 2010 में, **दक्षिण अफ्रीका** समूह का 5वाँ सदस्य बना।
- **फोर्टालेजा (2014) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की गई थी:**
- 100 बिलियन डॉलर राशि के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की जाएगी।
- अल्पकालिक तरलता मांगों से निपटने हेतु 100 बिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि के साथ ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (CRA) की स्थापना के लिए समझौता किया गया।

7.7 शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन **किंगदाओ, चीन** में आयोजित किया गया।

सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ / किंगदाओ घोषणा

- भारत ने **चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन करने से इंकार कर दिया।**
- भारत ने SCO क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा के लिए **SECURE रणनीति** का विचार प्रस्तुत किया। ।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई** तथा इसका मुख्यालय **बीजिंग** में स्थित है।
- इस संगठन का उद्भव इसके पूर्ववर्ती **शंघाई फाइव** (यह एक बहुपक्षीय मंच था जिसकी स्थापना 1996 में शंघाई में 5 देशों- **चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान** द्वारा की गई थी) से हुआ है।

- यह **"शंघाई स्पिरिट"** नामक दर्शन से संचालित होता है जो की सद्भाव, सर्वसम्मति द्वारा कार्य करने, दूसरों की संस्कृतियों का सम्मान करने, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और गुटनिरपेक्षता पर बल देता है।
- SCO में आठ सदस्य राष्ट्र- **भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उजबेकिस्तान** सम्मिलित हैं।
- **भारत ने** इस वर्ष 2018 की बैठक में **पहली बार एक पूर्णकालिक सदस्य** के रूप में भाग लिया। जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
- इसके अतिरिक्त इस संगठन में **4 पर्यवेक्षक राष्ट्र और 6 वार्ता भागीदार हैं**।

क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)

- इसकी स्थापना **2002 में SCO के तत्वावधान में की गई थी**।
- इसे SCO क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने, सैन्य खुफिया जानकारी एकत्रित करने और सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिदेशित किया गया है।
- **RATS की कार्यकारी समिति (The Executive Committee of the RATS)** SCO का एक स्थायी निकाय है। यह **ताशकंद** में स्थित है।

अभ्यास SCO शांति मिशन, 2018

- यह **SCO सदस्य राज्यों के लिए द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है**।
- SCO में शामिल होने के पश्चात भारत **प्रथम बार** इस पीस मिशन में भाग ले रहा है।
- इस अभ्यास ने **भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान से बाहर एक साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया है**।

7.8. ऑर्गनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज (OPEC)

[Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ओपेक द्वारा लगाए जा रहे "एशियाई प्रीमियम" का विरोध करने के लिए चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ समन्वय करेगा।

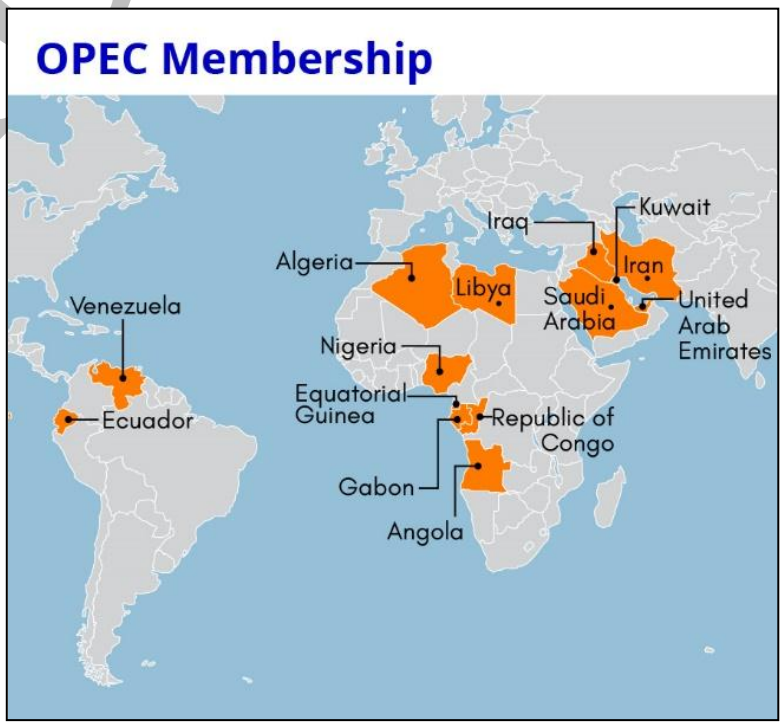

ओपेक के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसके निर्धारित उद्देश्यों में "पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को बनाये रखने के लिए **सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना;** उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल, वहनीय और नियमित आपूर्ति करना; और इस उद्योग में निवेश करने वालों निवेशकों की पूंजी पर उचित प्रतिफल प्रदान करना" शामिल है।
- इसका मुख्यालय **वियना (ऑस्ट्रिया)** में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गयी थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य देश हैं।

- **अनुमानित रूप से वैश्विक तेल उत्पादन के लगभग 44 प्रतिशत का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है और विश्व के "प्रमाणित" तेल भंडार का लगभग 81.5 प्रतिशत ओपेक देशों में है।**

एशियाई प्रीमियम (Asian Premium)

- यह अतिरिक्त प्रभार है जिसे ओपेक देशों द्वारा एशियाई देशों को तेल का विक्रय करते समय वसूला जाता है।
- इसकी शुरुआत 1986 में स्थापित बाज़ार उन्मुखी क्रूड प्राइसिंग व्यवस्था के तहत की गयी थी।
- वैश्विक बाजार में 3 महत्वपूर्ण मानक (बेंचमार्क) हैं, जो संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित तेल की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं:
  - **ब्रेंट: यह लाइट स्वीट तेल है, जो यूरोपीय बाजार का प्रतिनिधित्व करता है**
  - **वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI):** अमेरिकी बाजार
  - **दुबई/ओमान:** मध्य-पूर्व और एशियाई बाजार।
- हालांकि, अमेरिका और यूरोप लाभकारी स्थिति में थे क्योंकि उनके बाजार और मूल्य फ्यूचर ट्रेडिंग (future trading) पर आधारित थे और क्रूड बाजार की सभी प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते था। दूसरी ओर, एशिया (जिसका प्रतिनिधित्व दुबई/ओमान द्वारा किया जाता है) इस लाभकारी स्थिति में नहीं था ,क्योंक यहाँ कोई डेरीवेटिव ट्रेडिंग नहीं है।
- इस प्रकार, एशियाई देशों से वसूली गई कीमत यूरोप और अमेरिका की तुलना में 1-2 डॉलर अधिक बनी रही। इस मूल्य अंतर को **'एशियाई प्रीमियम'** कहा जाता है।

7.9. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

(International Atomic Energy Agency: IAEA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने चार और रिएक्टरों को **IAEA सुरक्षा उपायों** के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही अब कुल 26 भारतीय परमाणु संस्थान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में होंगे।

IAEA के बारे में

- यह **परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग** के लिए वैश्विक केंद्रीय अंतर-सरकारी फोरम है।
- इसकी स्थापना जुलाई 1957 में एक **अंतरराष्ट्रीय संधि (IAEA संविधि)** के माध्यम से की गई थी। यह **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत** एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है।
- यह **परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सावधानीपूर्वक, सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करती है**, इसके अतिरिक्त यह अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान देती है।
- इसका **मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना** में अवस्थित है। **भारत IAEA का सदस्य है।**
- **IAEA सुरक्षा उपायों का उद्देश्य** परमाणु सामग्री या प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है।
- 2009 में, **भारत सरकार और IAEA** के मध्य 'एप्लीकेशन ऑफ़ सेफ़गार्ड टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी' पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उसके पश्चात 2014 में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ अपने सुरक्षा उपाय समझौतों के एक **अतिरिक्त प्रोटोकॉल** (यूएस-भारत परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में) की पुष्टि की।
- अतिरिक्त प्रोटोकॉल IAEA का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो सुरक्षा उपाय समझौते के प्रावधानों के अतिरिक्त है। इसका उद्देश्य किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रकृति की पुष्टि करना है।

VISION IAS

7.10. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (AIIB) की तृतीय वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भागीदारों के मध्य जुड़ावों और व्यवसाय विकास अवसरों का सृजन करने हेतु एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम का शुभारंभ किया गया, जिसकी रुपरेखा परियोजना प्रायोजकों, वित्तदाताओं, सरकारों इत्यादि द्वारा तैयार की गयी।

एशियन इंफ्रास्ट्रचर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB):

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया और उससे बाहर सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है।
- इसकी स्थापना दिसम्बर 2015 में हुई थी, परन्तु इसने जनवरी 2016 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसका **मुख्यालय बीजिंग** में स्थित है। वर्तमान में इसमें 93 सदस्य देश हैं तथा भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- **भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक** है। यह इसमें 8.99% हिस्सेदारी एवं 7.5% मत धारण करता है। इसका सबसे बड़ा अंशधारक चीन (32%) है।
- हाल ही में इसने **राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि (NIIF)** में भी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा है।

7.11. एशियन डेवलपमेंट बैंक

(Asian Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति अर्थात् रणनीति 2030 जारी की।

ADB - रणनीति 2030 से सम्बंधित तथ्य

- यह ADB के लिए एक नीतिगत ढांचा है जो **एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रही आवश्यकताओं** हेतु इसके व्यापक दृष्टिकोण एवं रणनीतिक प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है।
- **सामाजिक आयाम:** पूर्व रणनीति 2020 के विपरीत - रणनीति 2030 दस्तावेज़ सामान्य बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त मानवीय एवं सामाजिक कारकों पर बल देता है।
- **क्षेत्रीय या देश विशिष्ट दृष्टिकोण:** इस क्षेत्र की गहन विविधता (जिसमें स्थल अवरुद्ध एवं छोटे द्वीपीय देश, दोनों शामिल हैं) के कारण, ADB द्वारा पहली बार सदस्य देशों के विभिन्न समूहों के लिए एक पृथक दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।
- ADB में 67 सदस्य देश हैं, जिनमें एशियाई क्षेत्र के 48 देश शामिल हैं।
- **भारत ADB का संस्थापक सदस्य था** किन्तु देश में संचालनो की शुरुआत 1986 में शुरू हुई जब भारत ने ऋणकर्ता सदस्य बनने का चयन किया।
- पारम्परिक रूप से किसी जापानी बैंक गवर्नर द्वारा ADB का नेतृत्व किया जाता है।
- ADB में शीर्ष 5 शेयरधारक हैं: जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)।
- यह **इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से विकासशील देशों के निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान** करता है।

7.12. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (EBRD)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (EBRD) का 69वां शेयर धारक सदस्य बन गया।

EBRD के बारे में

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे बर्लिन की दीवार के पतन के बाद **उभरते हुए यूरोप में निजी और उद्यमशील पहलों को बढ़ावा देने** हेतु 1991 में स्थापित किया गया था।

VISION IAS

- **इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।**
- यह तीन महाद्वीपों की 38 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है। यह निवेश पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है जिनका उद्देश्य इसके देशों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी, बेहतर शासन आधारित, हरित, अधिक समावेशी, अधिक उदार और अधिक एकीकृत बनाना है।
- इसके सदस्य सम्पूर्ण विश्व से हैं तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है**, किन्तु यह बैंक केवल क्षेत्रीय स्तर पर उन्ही देशों को उधार देता है जिनमें यह कार्य-संचालन करता है।
- **EBRD यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से भिन्न है।** EIB यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के स्वामित्व में है और इसका उपयोग यूरोपीय संघ की नीति का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
- EBRD विकास बैंकों के मध्य अद्वितीय है क्योंकि **यह कोयला विद्युत संयंत्रों का (उनके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण) वित्तीयन नहीं करता है।** इसने अपने वित्तपोषण के 40 प्रतिशत से अधिक के निवेश को 2020 तक हरित निवेश के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है।
- भारत को EBRD में शेयर धारिता प्राप्त है किन्तु यह EBRD वित्तपोषण का प्राप्तकर्ता नहीं होगा।
- EBRD वित्तपोषण की पात्रता के लिए, **"एक परियोजना को EBRD के संचालन देश में स्थित होना चाहिए** (भारत में नहीं)। परियोजना में सुदृढ़ वाणिज्यिक संभावनाएं विद्यमान हों एवं परियोजना प्रायोजक की ओर से महत्वपूर्ण इक्विटी योगदान (मौद्रिक रूप में अथवा वस्तु या सेवा के रूप में) शामिल हों तथा साथ ही परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करे और निजी क्षेत्र को विकसित करने तथा बैंकिंग और पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सहायता प्रदान करें।"

7.13. IBSA

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित IBSA की मंत्रिस्तरीय बैठक में** भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के विदेश मंत्रियों के द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) एवं विकास की समझ को बेहतर बनाने में योगदान देने हेतु एक घोषणा पत्र को स्वीकृत किया गया।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) के बारे में

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) को **वैश्विक दक्षिण के देशों के मध्य विकासात्मक समाधानों के आदान-प्रदान तथा साझाकरण** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- SSC का गठन **1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन** (जिसे **बांडुंग सम्मेलन** भी कहा जाता है) में किया गया था।

भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA)

- **IBSA डायलॉग फोरम** भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय गुट है।
- IBSA की औपचारिक रूप से स्थापना **6 जून 2003 को ब्राजीलिया घोषणा** के तहत भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- यह समान चुनौतियों का सामना कर रहे **विकासशील विश्व के तीन महत्वपूर्ण महाद्वीपों** अर्थात- अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य के तालमेल और **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाने के तीन महत्वपूर्ण केंद्रों** का प्रतिनिधित्व करता है।

विकास सहयोग के लिए IBSA तंत्र- गरीबी एवं भूख के उन्मूलन हेतु IBSA कोष

- यह विकासशील देशों में गरीबी और भूख के उन्मूलन हेतु मानव विकास परियोजनाओं के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
- प्रत्येक सदस्य देश इस कोष में **वार्षिक तौर पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान देता है।
- IBSA कोष का प्रबंधन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय **(United Nations Office for South-South Cooperation :UNOSSC)** द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

7.14 सार्क विकास कोष

(SAARC Development Fund: SDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सार्क विकास कोष (SDF) के भागीदारी सम्मेलन-2018 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।

SDF के बारे में

- इसकी स्थापना सार्क के सभी 8 सदस्य देशों के प्रमुखों द्वारा अप्रैल 2010 में **थिम्पू (भूटान) में आयोजित 16वें सार्क शिखर सम्मलेन** के दौरान की गई थी।
- इसका **सचिवालय** भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है। इसकी शासी परिषद् (**गवर्निंग काउंसिल**) में सभी सार्क देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- इसका गठन सार्क के सभी देशों की विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु एक अम्ब्रेला वित्तीय तंत्र के रूप में किया गया था।
- यह तीन क्षेत्रों जैसे - सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और अवसंरचना क्षेत्र के माध्यम से **दक्षिण एशिया क्षेत्र में परियोजनाओं का वित्तीयन** करेगा।
- वर्तमान के 497 मिलियन डॉलर की कुल पूंजी-आधार के साथ SDF का कुल कोष 1.5 बिलियन डॉलर है। इसमें से 100 मिलियन से अधिक राशि को प्रतिबद्ध राशि के रूप में रखा गया है।

एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 1985 में स्थापित किया गया था।
- SAARC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना था।
- **सदस्य देश** - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान।

7.15 बिम्सटेक

(BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नेपाल में 'बे ऑफ़ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC)' का चौथा शिखर सम्मेलन चार वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया गया। तीसरा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2014 में ने पी ता (म्यांमार) में आयोजित किया गया था।

बिम्सटेक(BIMSTEC) के बारे में

- बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय एवं सन्निकट क्षेत्रों के सात सदस्य देश **बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सम्मिलित हैं।**
- यह उप-क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को **बैंकाक घोषणा** के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- इसका **सचिवालय ढाका** में स्थित है।

7.16 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन

(Asia Pacific Economic Cooperation)

सुर्खियों में क्यों ?

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) पापुआ न्यू गिनी में सम्पन्न शिखर सम्मेलन के दौरान एक संवाद पर सर्वसम्मति विकसित करने में असफल रहा।

इस संबंध में अन्य जानकारी

- APEC के इतिहास में यह ऐसा पहला उदाहरण है जबकि **अंतिम घोषणा पर सर्वसम्मति नहीं बन** सकी।

VISION IAS

- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य व्याप्त तनाव के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व गतिरोध की स्थिति भारत को एक सदस्य के रूप में APEC में सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार से लाभप्रद है- पहला, एक प्रमुख बाजार के तौर पर भारत की वर्तमान स्थिति को मान्यता तथा दूसरा, भविष्य में इस तरह के गतिरोध से बचने का एक साधन।
- यद्यपि, भारत की भौगोलिक स्थिति APEC में भारत की सदस्यता के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि भारत की सीमाएं प्रशांत महासागर के साथ नहीं लगती है।

एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (Asia Pacific Economic Cooperation:APEC)

- 1989 में स्थापित APEC, 21 प्रशांत रिम (प्रशांत महासागर के तटवर्ती देश) सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है।
- APEC का उद्देश्य संतुलित, समावेशी, संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण करना है।
- 2011 के APEC शिखर सम्मेलन में भारत को एक **पर्यवेक्षक राज्य** के रूप में अनुमति दी गई थी।

7.17 आप्टा

(APTA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशिया- प्रशांत व्यापार समझौते (Asia Pacific Trade Agreement:APTA) के अंतर्गत वार्ताओं के चतुर्थ दौर के परिणामों को प्रभावी रूप से 1 जुलाई, 2018 से क्रियान्वित किया गया।

चतुर्थ दौर से संबंधित अन्य तथ्य

- भारत ने आप्टा को 3142 वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतें तथा LDCs, बांग्लादेश और लाओस को 48 वस्तुओं पर विशेष रियायतें प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
- चीन ने भी भारत, बांग्लादेश, लाओस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका में उत्पादित कुल 8,549 वस्तुओं पर **शुल्क में कटौती करने अथवा पूर्णतः समाप्त करने** पर सहमति व्यक्त की है।

आप्टा (APTA)

- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (APTA) का पूर्ववर्ती नाम **बैंकॉक समझौता** था। यह समझौता UNESCAP (यूनाइटेड नेशंस इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक) की एक पहल है। इस पर **1975** में हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के मध्य सबसे पुराना **वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता (PTA)** है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं की बास्केट के साथ-साथ शुल्क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।
- वर्तमान में, निम्नलिखित **छह** प्रतिभागी देश APTA के सदस्य हैं: 1. बांग्लादेश 2. चीन 3. भारत (संस्थापक सदस्य) 4. लाओस 5. दक्षिण कोरिया 6. श्रीलंका (मंगोलिया के 7वां सदस्य बनने की सम्भावना है)।
- यह सभी **विकासशील सदस्य देशों के लिए खुला** हुआ है।
- इसका उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार उदारीकरण संबंधी उपायों को अपनाने के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये उपाय अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को विस्तार करने में सहयोग देंगे और व्यापार वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा व्यापार सुगमता के कवरेज के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करेगा।
- विशेष रूप से, यह ऐसा एकमात्र परिचालित व्यापार समझौता है जो की चीन एवं भारत को एकसाथ जोड़ता है।

यूनेस्केप (UNESCAP)

- यह **एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है।**
- इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसका **मुख्यालय बैंकाक, थाईलैंड में स्थित** है।
- **यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु** अपने सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

VISION IAS

7.18 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के सदस्यों ने वर्ष के अंत तक व्यापार वार्ताओं को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ एक **अर्ली-हार्वेस्ट "पैकेज"** को अंतिम रूप प्रदान किया है।

पृष्ठभूमि

- RCEP का निर्माण **वर्ष 2012 में कम्बोडिया में ASEAN सम्मेलन** के दौरान किया गया था। इसे पक्षकारों के मध्य सहभागिता को गहन और विस्तृत करने तथा क्षेत्र में **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित** करने हेतु साझेदारी को सुगम बनाने के लिए निर्मित किया गया था।
- किन्तु वर्ष 2012 में प्रारम्भ हुई वार्ताओं के दौरान सदस्य राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मतभेदों के कारण **गतिरोध** उत्पन्न हो गया।
- प्रारम्भिक मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत ने यह स्पष्ट किया था कि वह एक **"अर्ली हार्वेस्ट"** के पक्ष में नहीं है। अर्ली हार्वेस्ट से आशय यह है कि वार्ताओं के **सभी तीन स्तम्भों** अर्थात् वस्तुओं, सेवाओं और निवेश **पर समझौते** एक
- अर्ली हार्वेस्ट योजना दो व्यापारिक भागीदारों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की पूर्ववर्ती है। यह उन देशों को FTA वार्ता की समाप्ति के कारण लंबित टैरिफ उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान करने में सहायता करती है।

RCEP के बारे में

- RCEP को **10 सदस्यीय ASEAN गुट और इसके 6 FTA भागीदारों** यथा- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड **के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के रूप में घोषित किया गया है।
- अपने अंतिम चरण में पहुंचने के पश्चात् RCEP, सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार गुट का सृजन करेगा तथा GDP के 25%, वैश्विक व्यापार के 30% तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाहों के 26% का निर्माण करेगा।
- RCEP के 'मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों' के अनुसार- " **वस्तुओं, सेवाओं, निवेश** और अन्य क्षेत्रों में **व्यापार पर वार्ताएं** एक व्यापक और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने हेतु समानांतर रूप में सम्पन्न की जाएंगी।"

7.19 कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप

(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

- हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) को उन छह देशों में क्रियान्वयित किया गया है, जिन्होंने पूर्व में इसे अनुमोदित किया था।

CPTPP के बारे में

- यह **कनाडा** और **एशिया-प्रशांत क्षेत्र** के **10 अन्य देशों** के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है: जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। इसे अनौपचारिक रूप से TPP-11 के रूप में भी जाना जाता है।
- CPTPP में **कृषि, समुद्री खाद्य उत्पाद, वन उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद** आदि जैसे कई व्यापक क्षेत्र शामिल हैं।
- समझौते के प्रभाव में आते ही, अधिकांश **टैरिफ लाइन** प्रत्येक CPTPP देश के लिए **शुल्क मुक्त** हो जाएंगी। अन्य वस्तुओं पर शुल्क **"चरण-बद्ध"** अवधि (20 वर्ष तक) में समाप्त कर दिए जाएंगे, जो प्रत्येक देश के अनुरूप भिन्न-भिन्न हैं।

7.20 अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र

(African Continental Free Trade Area)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफ्रीकी देशों द्वारा अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र या AfCFTA का आरम्भ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के गठन के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा।**

VISION IAS

विवरण

- **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA):** यह अफ्रीकी संघ (AU) के सभी 55 सदस्यों के मध्य किए गए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते का परिणाम है। मार्च 2018 में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु किगाली (रवांडा) में एकत्रित हुए थे।
- **महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (Continental Free Trade Area: CFTA):** यह एक महाद्वीप आधारित मुक्त व्यापार समझौता है जिसे अफ्रीकी संघ (AU) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। आरम्भ में मार्च 2018 में किगाली (रवांडा) में आयोजित सम्मेलन में कुल 55 पक्षकारों में से 44 ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
- 22 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के पश्चात ही इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जाएगा।

7.21. जी-7 (G7)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में 44वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के क्यूबेक में आयोजित किया गया था।

G7 के बारे में

- ग्रुप ऑफ सेवन (G7) एक समूह है जिसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।**
- ये देश विश्व की सात सबसे बड़ी IMF-वर्णित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (IMF-described advanced economies) के साथ, वैश्विक निवल संपत्ति ($ 317 मिलियन) के 58% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **शिखर सम्मेलन का स्थान सदस्य देशों के मध्य क्रमागत रूप से प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होता रहता है।** मेजबानी करने वाला देश न केवल वर्ष के लिए एजेंडा निर्धारित करता है, बल्कि उसके पास G7 की अध्यक्षता भी रहती है।
- पिछले 44 वर्षों में पहली बार, इस शिखर सम्मेलन में G7 में एक **लैंगिक समानता सलाहकार परिषद** का गठन किया गया। परिषद का उद्देश्य निजी क्षेत्र की कंपनियों को लैंगिक असमानता की समस्या को पूर्णतया समाप्त करने के लिए ऐसी परिषदों के गठन हेतु प्रोत्साहित करना है।

7.22 G-20

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 13वें **G-20 शिखर सम्मेलन** की मेजबानी **अर्जेंटीना** द्वारा की गई थी।

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (G 20)

- यह विश्व के 19 देशों एवं यूरोपियन यूनियन की सरकारों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1999 में** एशियाई वित्तीय संकट के प्रतिक्रियास्वरूप वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक बैठक के रूप में हुई थी। 2008 में प्रथम G-20 लीडर्स समिट का आयोजन किया गया और इस समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस प्रकार यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु महत्वपूर्ण औद्योगिक देशों एवं विकाशसील देशों को एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत में पहली बार G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाएगा।**

VISION IAS

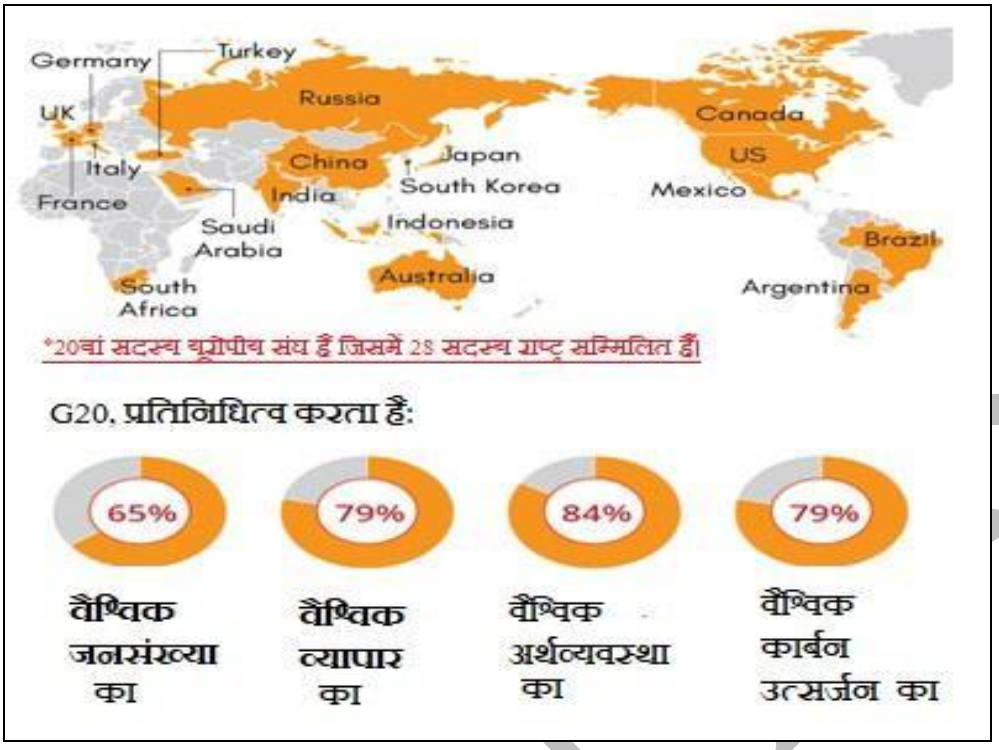

7.23 रासायनिक हथियार निषेध संगठन

(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) को किसी हमले में प्रतिबंधित विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करने पर उन देशों या गैर राज्य अभिकर्ताओं को दोषी ठहराने हेतु नई शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- अब तक OPCW को विभिन्न स्थानों से नमूनों को एकत्रित करने हेतु केवल दलों को भेजने तथा नमूनों के विश्लेषण से रासायनिक हथियारों द्वारा हमला होने या न होने की पुष्टि करने की **सीमित शक्तियाँ** प्राप्त थीं।
- इसे रासायनिक हथियार हमलों के अपराधकर्ता (देश अथवा नॉन स्टेट एक्टर) की पहचान करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी।
- OPCW की शक्तियों में विस्तार के ब्रिटिश नेतृत्व वाले प्रस्ताव का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन द्वारा समर्थन किया गया था परन्तु रूस, ईरान, सीरिया तथा उनके सहयोगी राष्ट्रों द्वारा विरोध किया गया था।
- भारत ने इस निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, क्योंकि यदि समूह के प्रमुख को "अनियंत्रित शक्तियां" प्रदान की जाती है, जिनका प्रयोग वह "पक्षपातपूर्ण" उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जो की दिए गए निर्णय के विरुद्ध होगा।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।
- OPCW के सदस्य देश किसी युद्ध में रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के सामूहिक लक्ष्य को साझा करते हैं। इस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करते हैं।
- यह **रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग के निषेध पर कन्वेंशन (convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons)** हेतु एक कार्यान्वयन निकाय है।
- इस संगठन में 193 सदस्य राष्ट्र हैं।
- भारत भी **इसका एक सदस्य राष्ट्र** है।
- इजराइल ने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं परन्तु अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।मिस्र, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन तथा दक्षिण सूडान ने न तो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसे स्वीकार किया है।

- द कांफ्रेंस ऑफ़ द स्टेट्स पार्टीज, OPCW के सभी सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बना एक अधिवेशन निकाय है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को समान मताधिकार प्राप्त हैं। इसे कन्वेंशन के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु सामान्य शक्ति प्राप्त हैं।
- OPCW ने रासायनिक हथियारों के 90% से अधिक भंडार को विनष्ट करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। संगठन को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन की दिशा में व्यापक प्रयास हेतु वर्ष **2013 के नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

7.24 एशिया-यूरोप बैठक

(Asia-Europe Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

12वीं **एशिया-यूरोप बैठक** (ASEM12) अक्टूबर 2018 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। बैठक के दौरान हुई चर्चा मुख्यतः **"यूरोप और एशिया: वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदार (Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges)"** थीम पर केंद्रित थी।

ASEM के बारे में

- यह 51 एशियाई एवं यूरोपीय देशों तथा साथ ही दो संस्थागत भागीदारों (यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या आसियान) के बीच **बातचीत और सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए 1996 में स्थापित एक **अंतर-सरकारी प्रक्रिया** है।
- **भारत 2008 में इस मंच में शामिल** हुआ था।
- इसका **प्रथम शिखर सम्मेलन** बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा शांति, सम्मान एवं समानता के प्रसार का भी प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य यूरोपीय और एशियाई नीति निर्माताओं के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान को संभव बनाकर अपेक्षाकृत अधिक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

7.25. एशिया पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट

(Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development: AIBD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को पहली बार दो वर्ष की अवधि के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) के बारे में

- यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (UN-ESCAP) देशों के सहायतार्थ एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी तथा एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ABU) इसका एक संस्थापक संगठन और एक गैर-मताधिकार प्राप्त सदस्य है।
- मलेशिया इसका मेजबान देश है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भी संस्थान के संस्थापक संगठन हैं।

संबंधित जानकारी

एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (ABU)

- इसे वर्ष 1964 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, पेशेवर संघ के रूप में स्थापित किया गया था।

VISION IAS

- ABU टेलीविजन और रेडियो प्रसारकों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक अभिकर्ताओं के सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करता है तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU)

- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषकृत एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गयी थी।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आबंटन करता है।
- यह उन तकनीकी मानकों को भी विकसित करता है, जो नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों की निर्बाध रूप से अंतर संबद्धता सुनिश्चित कर सकें।

8. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ (International Events)

8.1. ईरान परमाणु समझौता

(Iran Nuclear Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने **ईरान के साथ 2015 में संपन्न परमाणु समझौते** से बाहर होने का निर्णय लेते हुए इस पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- ईरान समझौता, 2015 में ईरान तथा विश्व के छह देशों- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ (EU) (अर्थात P5 + जर्मनी + यूरोपीय संघ) के मध्य सम्पन्न हुआ था। इसे **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** के रूप में भी जाना जाता है।
- **समझौते के तहत** ईरान द्वारा मध्यम संवर्द्धित यूरेनियम (MEU) के अपने भंडारण को पूर्ण रूप से समाप्त करने, निम्न संवर्द्धित यूरेनियम (LEU) के भंडारण को 98% तक कम करने और आगामी 13 वर्षों में अपने गैस सेंट्रीफ्यूजों की संख्या को दो-तिहाई तक कम करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2031 तक ईरान को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA) के प्रत्येक जांच अनुरोध को स्वीकार करना होगा। ऐसा न किए जाने की स्थिति में, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हुए प्रतिबंधों को पुनःआरोपित करने सहित उचित दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समझौते से बाहर होने का प्रमुख कारण यह है कि यह समझौता ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, 2025 के पश्चात इसकी परमाणु गतिविधियों तथा यमन एवं सीरिया में जारी संघर्ष में इसकी भूमिका को लक्षित नहीं करता है।
- वर्तमान स्थिति के अनुसार, परमाणु समझौते को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि ईरान एवं अन्य हस्ताक्षरकर्ता इसकी प्रतिबद्धताओं से सम्बद्ध रहें।

सम्बंधित तथ्य

- ईरान से आयात को कम कराने के अपने महत्वपूर्ण प्रयासों के मद्देनजर ईरान पर पुनः प्रतिबंध होने के बाद भी जापान, भारत और दक्षिण कोरिया सहित आठ देशों को कच्चे तेल आयात जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।
- भारत द्वारा यूको बैंक को भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रदान की गयी है ,क्योंकि इससे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को कोई जोखिम नहीं है।
- तेल का भुगतान केवल रुपये में किया जा रहा है हालाँकि पहले की वित्तीय लेन देन में यह अनुपात 45 प्रतिशत रूपए और 55 प्रतिशत यूरो हुआ करता था।

8.2. कोलंबिया बनेगा नाटो का सदस्य

(Colombia to Join NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोलंबिया अगला देश होगा जो औपचारिक रूप से **नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाईजेशन (NATO)** की सदस्यता ग्रहण करेगा। इसका OECD (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) द्वारा भी एक सदस्य के रूप में अनुमोदन कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोलंबिया **एकमात्र लैटिन अमेरिकी** देश है जो NATO गठबंधन में शामिल होगा।

VISION IAS

- इसे संगठन में **"पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब"** का दर्जा प्रदान किया जायेगा।NATO ने ऐसे कई देशों के साथ सहयोग स्थापित किया है **जो औपचारिक समूह का हिस्सा नहीं हैं।** उन्हें प्राय: **"पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब" या "वैश्विक भागीदार (Global Partners)"** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ये देश NATO के साथ **उभरती सुरक्षा चुनौतियों सहित पारस्परिक हितों के क्षेत्र में** सहयोग विकसित करते हैं तथा सक्रिय रूप से NATO के **सैन्य या असैन्य अभियानों** में योगदान करते हैं।
- संगठन में "वैश्विक भागीदार" का दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य देश हैं- **अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जापान, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया, मंगोलिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा पाकिस्तान।**

नार्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाईजेशन (North Atlantic Treaty Organization: NATO)

- इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायन्स (उत्तरी अटलांटिक गठबंधन) भी कहा जाता है। **यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के तीन स्थाई सदस्यों (संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस) तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 26 अन्य देशों का एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है।**
- इस गठबंधन की स्थापना **नार्थ अटलांटिक ट्रीटी** द्वारा **वर्ष 1949** में की गई थी।
- यह **सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली** का निर्माण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत इसके स्वतंत्र सदस्य देशों ने किसी बाह्य पक्ष द्वारा किए गए आक्रमण की प्रतिक्रिया में पारस्परिक सुरक्षा की सहमति प्रदान की है।
- इसका मुख्यालय **ब्रुसेल्स (बेल्जियम) के हारेन** में स्थित है।

सम्बंधित तथ्य

- उत्तर मैसेडोनिया नाटो में शामिल
- हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के अंतर्गत उत्तर मैसेडोनिया को 30 वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- यह दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है।
- यह पूर्व यूगोस्लाविया के उत्तरवर्ती राज्यों में से एक है।
- मैसेडोनिया को इसके नाम सम्बंधी विवाद को लेकर नाटो या यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि ग्रीस द्वारा इस नाम से सम्बन्धित ऐतिहासिक सन्दर्भ दिया गया था और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के रूप में "मैसेडोनिया" नाम के इस्तेमाल का विरोध किया गया।
- ग्रीस और मैसेडोनिया के मध्य हुए प्रेस्पा समझौता, 2018 के तहत, परिवर्तित नाम के रूप में उत्तरी मैसेडोनिया को स्वीकृत किया गया।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
(Organisation for Economic Co-opration and Development: OECD)

- इसका उद्देश्य उन नीतियों को प्रोत्साहन देना है जो सम्पूर्ण विश्व के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार को बढ़ावा देती हैं।
- इसके 36 सदस्य देश हैं, जिनमें विश्व के कई विकसित देशों सहित मेक्सिको, चिली और तुर्की जैसे विकासशील देश भी शामिल हैं।
- **भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है।**
- OECD के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों में शामिल हैं:
- इकोनामिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया आउटलुक
- गोइंग फॉर ग्रोथ
- इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक

VISION IAS

8.3. सिंगापुर सम्मेलन

(Singapore Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सिंगापुर में आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका-उत्तर कोरिया सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के मध्य ऐतिहासिक भेंटवार्ता हुई।

पृष्ठभूमि

- उत्तर कोरिया ने अपने शासन का स्थायित्व **ब्युंगज़िन नीति (Byungjin Policy)** पर स्थापित किया है। इसका अर्थ आर्थिक विकास के साथ-साथ नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम को जारी रखने से है।
- संबंधों में वैमनस्य को दूर करने के हाल के प्रयासों को विभाजित कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिति को पुनः सामान्य बनाने के उत्तर और दक्षिण कोरिया, दोनों के प्रयासों से सहायता प्राप्त हुई है। इसकी शुरुआत शीतकालीन ओलंपिक के दौरान सौहार्द और तत्पश्चात दोनों कोरियाई राष्ट्रों के सर्वोच्च नेताओं के मध्य एक बैठक से हुई।
- इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने अपने पुन्ये री (Punggye-ri) परमाणु परीक्षण क्षेत्र को भी नष्ट करने की घोषणा की।

परिणाम

- अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने तथा अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्ध अभ्यासों के समापन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- कोरियाई प्रायद्वीप (उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच) शांति, समृद्धि और एकीकरण के लिए **पन्मुन्जोम घोषणा (Panmunjom declaration)** की पुनः पुष्टि करते हुए 'किम जोंग उन' ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह भविष्य में परमाणु शस्त्रों के प्रसार के खतरे को कम कर सकता है।

8.4. कैस्पियन सागर से संबंधित महत्वपूर्ण संधि

(Caspian Sea Breakthrough Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में कैस्पियन सागर के पांच तटवर्ती देशों - **अज़रबैजान, ईरान, कज़ाखस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान** ने कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

- 5 देशों ने सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कैस्पियन सागर के कानूनी दर्जे को परिभाषित करने का प्रयास किया है, ताकि नई ड्रिलिंग और पाइपलाइनों के लिए जल और इसके प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन किया जा सके।
- विभिन्न तेल और गैस क्षेत्रों के स्वामित्व हेतु ईरान, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान ने एक-दूसरे के विरुद्ध दावे प्रस्तुत किये हैं।

संधि के बारे में

- यह संधि समुद्र तट से **15 समुद्री मील दूरी तक के क्षेत्र को संप्रभु जलीय क्षेत्र** के रूप में और इससे आगे 10 समुद्री मील तक के क्षेत्र को एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र घोषित करती है जिसका उपयोग मत्स्यन हेतु किया जा सकता है।
- संधि के द्वारा कैस्पियन सागर को एक **विशेष कानूनी दर्जा** प्रदान करते हुए यह विवाद समाप्त कर दिया गया है कि यह झील है। पुनः समुद्री सीमा और प्रत्येक समीपवर्ती देश की समुद्री सीमाओं को स्पष्ट किया गया है।
- प्रमुख चिंता यह है कि यदि इसे समुद्र माना जाता है तो यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) द्वारा शासित होगा और इस जलीय क्षेत्र तक बाह्य शक्तियों की भी पहुँच होगी।
- यह प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सभी कैस्पियन सागर राष्ट्रों की बजाय केवल प्रभावित पड़ोसी राज्यों से सहमति प्राप्त कर पाइपलाइनों की स्थापना की अनुमति देती है।

- समुद्री तल पर स्थित संसाधनों के विकास को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप कैस्पियन सागरीय राष्ट्रों के मध्य अलग-अलग समझौतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- यह कैस्पियन सागरीय राष्ट्रों को अमेरिका और नाटो जैसे आक्रामक तृतीय पक्षों के लिए उनकी सीमाओं को खोलने से प्रतिबंधित करती है और कैस्पियन सागरीय क्षेत्र पर किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देती है।

UNCLOS

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया।
- **इसके द्वारा अप्रैल 1958 के चार जेनेवा कन्वेंशन** को प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो क्रमशः प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, खुले सागर, मत्स्यन और खुले सागरों में जीवित संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित था।
- यह संधि संप्रभुता की एक चरणबद्ध व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें देश अपने **समुद्र तट के 12 समुद्री मील के भीतर जलीय क्षेत्र के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकते हैं।**
- प्रत्येक देश एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में अतिरिक्त 200 समुद्री मील का दावा भी कर सकता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्येक तटीय देश वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री संसाधनों के दोहन को विनियमित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में कन्वेंशन द्वारा **निर्मित तीन नए संस्थान:**

- सागरीय कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी
- महाद्वीपीय शेल्फ के सीमांकन पर आयोग

8.5. कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गूटेरेस ने भारत एवं अमेरिका सहित आठ देशों से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) को अंगीकृत करने की अपील की है।

क्या है CTBT?

- यह **एक बहुपक्षीय संधि है जोकि सैन्य एवं नागरिक उद्देश्यों, दोनों के लिए सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध** लगाती है।
- जेनेवा में आयोजित **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** में इस पर विचार-विमर्श किया गया तथा तत्पश्चात इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था। 24 सितम्बर 1996 को इसे हस्ताक्षर के लिए सामने रखा गया था।
- CTBT अपने 183 हस्ताक्षरकर्ताओं एवं अंगीकृत करने वाले 163 देशों के साथ **व्यापक स्तर पर समर्थित हथियार-नियंत्रक संधियों** में से एक है।
- यह केवल तभी प्रभाव में आ सकेगी जब यह परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमता वाले आठ देशों नामतः **चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा अंगीकृत कर ली जाएगी।
- केवल उत्तर कोरिया ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, अतः सुरक्षा परिषद् ने उसकी निंदा करने के साथ ही उस पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं।
- इस संधि के तहत विएना में **CTBT संगठन (CTBTO)** की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य **इसके प्रावधानों (जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण मानदंड संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।**

CTBT पर भारत का पक्ष

1996 में भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) का समर्थन नहीं किया था और अभी तक नहीं करने के निम्नलिखित कारण हैं:

CTBT **संपूर्ण निरस्त्रीकरण** (भारत द्वारा समर्थित) का समाधान प्रस्तुत नहीं करती है।**पक्षपातपूर्ण प्रकृति,**संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को भावी परीक्षण करने की शायद ही कोई आवश्यकता हो।

चिंता का एक अन्य विषय **एंट्री इंटू फोर्स क्लॉज़ (EIF)** था, जिसे भारत उसके द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि में स्वेच्छा से भागीदारी न करने के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानता था। संधि ने प्रारंभ में इसके EIF हेतु उन देशों के लिए अनुसमर्थन को

अनिवार्य कर दिया था जिन्हें CTBT की अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रणाली (इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम; IMS) के भाग के रूप में इस संधि में शामिल होना था। इसी के परिणामस्वरूप भारत ने IMS से अपनी भागीदारी वापस ले ली थी।

- **परमाणु हथियारों हेतु अप्रसार संधि (NPT) 1968:** इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु निरस्त्रीकरण (समग्र एवं संपूर्ण रूप से) करना है।
- इस भारत इसराइल उत्तर कोरिया पाकिस्तान और दक्षिण सूडान संधि का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि, 2017:** यह 20 वर्षों के प्रयास से निर्मित पहला एक ऐसा **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है
- भारत और अन्य परमाणु देश यूनाइटेड स्टेट्स, रूस ,ब्रिटेन , चीन फ्रांस पाकिस्तान उत्तरी कोरिया और इजराइल ने इस समझौते में भाग नहीं लिया था -
- **परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्र (NWFZ):** यह वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण मानदंडों को सुदृढ़ करने तथा शांति एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समेकित करने हेतु एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है।
- पांच ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं, जिनमें से चार पूरे दक्षिणी गोलार्द्ध में फैले हुए हैं।
  - लैटिन अमेरिका (त्लेटेल्को की संधि, 1967)
  - साउथ पैसिफिक (रारोटोंगा की संधि, 1985)
  - दक्षिण पूर्व एशिया (बैंकाक की संधि, 1995)
  - अफ्रीका (पेलिंडाबा की संधि, 1996)
  - मध्य एशिया (सेमिपालाटिंस्क की संधि, 2006)

8.6. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि

(Intermediate-Range Nuclear Forces: INFTreaty)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, U.S.A (और इसके पश्चात रूस) ने इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के तहत अपने दायित्वों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है।

पृष्ठभूमि

- USSR के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक **कॉम्प्रीहेंसिव इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल एलिमिनेशन** पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी परिणति 1987 में INF संधि के रूप में हुई।
- हालांकि, 2013 से रूस और अमेरिका दोनों ही देश एक-दूसरे पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं।

INF संधि क्या है?

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य **हथियारों को नियंत्रित करने वाली एक** शीत **युद्धकालीन संधि है,** जिसके तहत दोनों देश 500 से 5,500 किमी की रेंज वाली किसी भी प्रकार की भूमि-आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का विकास करने, उत्पादन करने, रखने या तैनात करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि इसके तहत वायु एवं समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- इसने सहमत पक्षों को संधि पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्ष के भीतर ऐसे सभी मौजूदा हथियारों को नष्ट करने के लिए बाध्य किया और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि **कोई भी पक्ष छह माह की नोटिस देकर इस संधि से बाहर हो सकता है।**
- इसने एक **व्यापक निरीक्षण प्रोटोकॉल** निर्मित किया है, जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे के बाहर निकलने की प्रक्रिया का निरीक्षण और निगरानी कर सकते हैं।
- हालांकि, यह संधि अमेरिका और USSR के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता थी **जिसने अन्य नाभिकीय शक्तियों पर भूमि आधारित मध्यवर्ती रेंज की मिसाइलों को विकसित करने के सन्दर्भ में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध आरोपित नहीं किया है।**

VISION IAS

सम्बंधित तथ्य

- 1960 और 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच **रणनीतिक शस्त्र नियंत्रण वार्ता (SALT)** ने हथियार नियंत्रण समझौतों को आगे बढ़ाया।
- US और सोवियत संघ द्वारा START I और START II जैसी-**स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए** जिनके द्वारा हथियारों पर और अधिक प्रतिबन्ध आरोपित किए गए।

8.7. ब्रेक्जिट

(Brexit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महीनों तक चली वार्ताओं के बाद, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन में ब्रेक्जिट मसौदे पर सहमति व्यक्त कर दी है।

ब्रेक्जिट क्या है?

- ब्रेक्जिट का आशय 23 जून, 2016 को आयोजित जनमत संग्रह के बाद, यूरोपीय संघ (EU) से यूनाइटेड किंगडम (UK) की वापसी से है, जिसमें 51.9 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ को छोड़ने का समर्थन किया।
- **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** के आह्वान ने दो वर्ष की प्रक्रिया निर्धारित की जो 29 मार्च 2019 को ब्रिटेन के बाहर निकलने के साथ समाप्त होने वाली थी।
- 21 मार्च 2019 को यूरोपीय परिषद ने ब्रिटेन की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और इसे 12 अप्रैल 2019 तक बढ़ा दिया गया।

समझौते की शर्तें

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने से सम्बंधित **मसौदा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज** है जो ब्रिटेन के निर्गमन की शर्तों को निर्धारित करता है। इसमें समाविष्ट हैं:

- **ब्रेक्जिट के बाद नागरिकों के अधिकारों हेतु प्रतिबद्धता -** लोग वहीं अपना कार्य और पढ़ाई जारी रख सकेंगे जहां वह वर्तमान में रह रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य उनके साथ रह सकते हैं।
- ब्रिटेन के प्रस्थान के बाद व्यापार वार्ताओं के लिए 21 महीने की एक संक्रमण अवधि तय होगी।
- सरकारों और व्यवसायों को दीर्घकालिक परिवर्तनों के लिए तैयार करने हेतु अधिक समय देने के लिए इस अवधि के दौरान ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के सभी नियमों का पालन करना जारी रखेगा।
- यूके की ओर से "निष्पक्ष वित्तीय निपटान"- जिसे £ 39 बिलियन "डाइवोर्स बिल" के रूप में भी जाना जाता है।
- यदि आयरलैंड की सीमा को मानवमुक्त रखने के संबंध में व्यापार वार्ताओं द्वारा कोई हल नहीं निकलता तो ऐसा करने हेतु एक "बैकस्टॉप" व्यवस्था।

यूरोपीय संघ (EU)

- यह 28 यूरोपीय देशों को शामिल करने वाली एक आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी है।
- **मास्ट्रिच संधि** (या यूरोपीय संघ की संधि) जो 1993 में लागू हुई थी, यूरोपीय संघ के निर्माण हेतु जिम्मेदार है।
  - इसने एकल यूरोपीय मुद्रा अर्थात यूरो के साथ-साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
  - यह सदस्य देश की नागरिकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति को यूरोपीय संघ की नागरिकता प्रदान करता है।
- **संस्थागत स्थापना** -
  - यूरोपीय संघ की व्यापक प्राथमिकताओं को **यूरोपीय परिषद** द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह परिषद राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के स्तर के नेताओं को एक साथ लाता है।
  - **सीधे निर्वाचित MEPs** यूरोपीय संसद में यूरोपीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - सम्पूर्ण यूरोपीय संघ के हितों को यूरोपीय आयोग द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इस आयोग के सदस्यों को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

VISION IAS

- यूरोपीय संघ की परिषद में सरकारें अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती हैं।

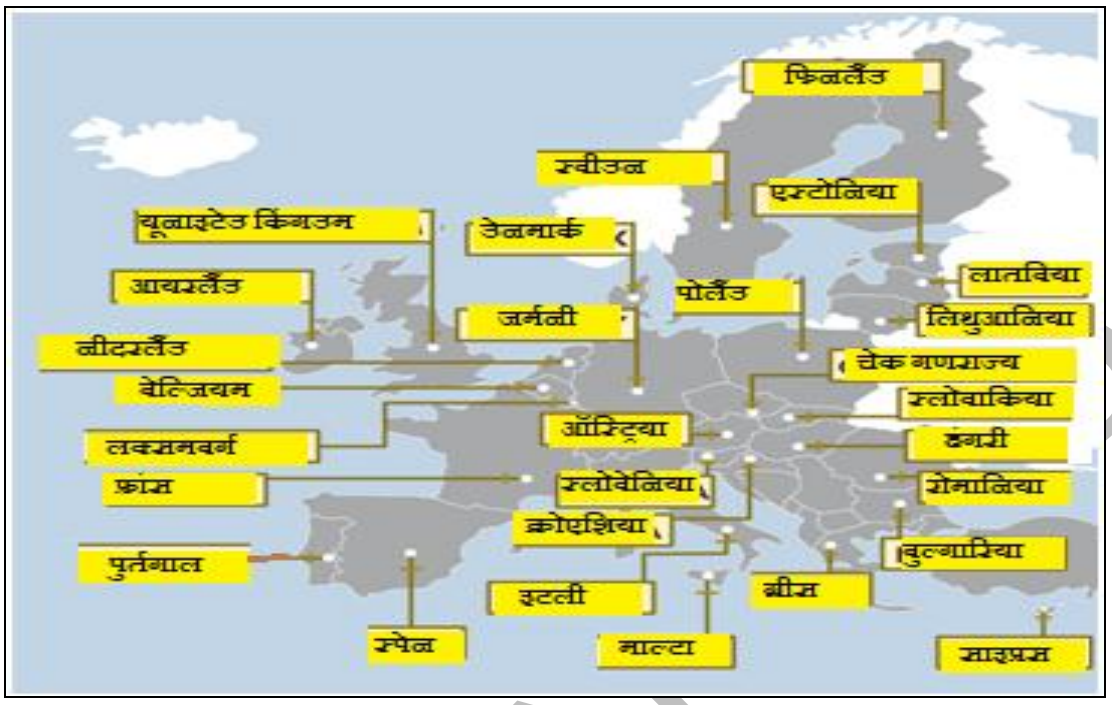

भारत और यूरोपीय संघ

- प्रथम भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन 28 जून 2000 को लिस्बन में किया गया और इसे इस सम्बन्ध के विकास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप चिह्नित किया गया।
- 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत-यूरोप सम्बन्ध को एक 'सामरिक भागीदारी' तक अपग्रेड किया गया था।
- दोनों पक्षों ने 2005 में एक संयुक्त कार्य योजना (2008 में इसकी समीक्षा की गई थी) को अपनाया।
- मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में 13वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को एक और बढ़ावा मिला, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ एजेंडा 2020 को अपनाया गया। यह एजेंडा परमाणु सहयोग, निवेश, इंटरनेट गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन, 5G संचार आदि सहित कई मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करता है।

सम्बंधित जानकारी

यूरोजोन

- यह एक भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र है जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पूरी तरह से शामिल किया है।
- 2018 तक, यूरोजोन में यूरोपीय संघ के 19 देशों में शामिल थे: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया स्लोवेनिया और स्पेन।

शेंगेन क्षेत्र

- यह 26 यूरोपीय राज्यों से मिलकर बना एक क्षेत्र है जिसने अपनी पारस्परिक सीमाओं पर पासपोर्ट और अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है।
- इस क्षेत्र का नाम **शेंगेन समझौते** के नाम पर रखा गया है, जो कि जून 1985 में लक्समबर्ग के शेंगेन शहर में हुआ था।
- 28 में से 22 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य शेंगेन क्षेत्र में भाग लेते हैं।
- चार यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य राज्यों- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड- यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं परन्तु शेंगेन समझौते के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

VISION

8.8. वेनेजुएला संकट

(Venezuela Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र ने **केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष (CERF)** के माध्यम से संकटग्रस्त वेनेजुएला के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता की घोषणा की गयी।

अतिरिक्त तथ्य

हाइपरइन्फ्लेशन (अत्यधिक उच्च या नियंत्रण से बाहर मुद्रास्फीति) की है। इस आर्थिक संकट ने खाद्यान्नों की कमी की समस्या को बढ़ाया है साथ ही सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप औषधियों व चिकित्सकीय उपकरणों तक लोगों की पहुँच स्थापित नहीं हो पा रही है।

- **केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष:**
  - यह 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक मानवतावादी निधि है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित लोगों को अधिक सामयिक और विश्वसनीय मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाना है।
  - इसमें 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक हैं और इसे क्षेत्रीय सरकारों, कॉर्पोरेट दाताओं, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है।
  - **CERF के उद्देश्य:**
    - जन हानि से बचने के लिए शीघ्र कार्रवाई और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना।
    - समय-महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया।
    - अल्प वित्तपोषित संकटों में मानवीय प्रतिक्रिया के मूल तत्वों को मजबूत करना।

8.9. विवादित क्षेत्र और उससे प्रभावित समुदाय

(Places of Conflict and Communities Affected)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अमेरिका **अफगानिस्तान और सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने** की योजना बना रहा है।
- **यमन में बंदरगाह शहर होदेदा में राष्ट्रपति हादी की सेनाओं और हौथी विद्रोहियों** के मध्य संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हो गया है।

विवादित क्षेत्र / संकट	प्रभावित समुदाय	महत्वपूर्ण संबद्ध शहर
यमन संकट	जैदी जनजातियों से संबंधित हौथी	साना (राजधानी शहर)
सीरियाई संकट	कुर्द, जो कुर्दिस्तान प्राप्त करना चाहते हैं - जिसमें तुर्की, इराक, सीरिया,	सीरिया में - अलेप्पो,

	ईरान और आर्मेनिया के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं।	पल्मायरा, रक्का इराक में - किरकुक, मोसुल
लेबनान	हिज़्बुल्लाह, जिसका उद्देश्य लेबनान से इज़राइल को बाहर निकालना है।	त्रिपोली, बेरूत
अफ़ग़ानिस्तान	पश्तून समुदाय (तालिबान विद्रोह मुख्य रूप से इस समुदाय तक ही सीमित है)	मजार-ए-शरीफ़

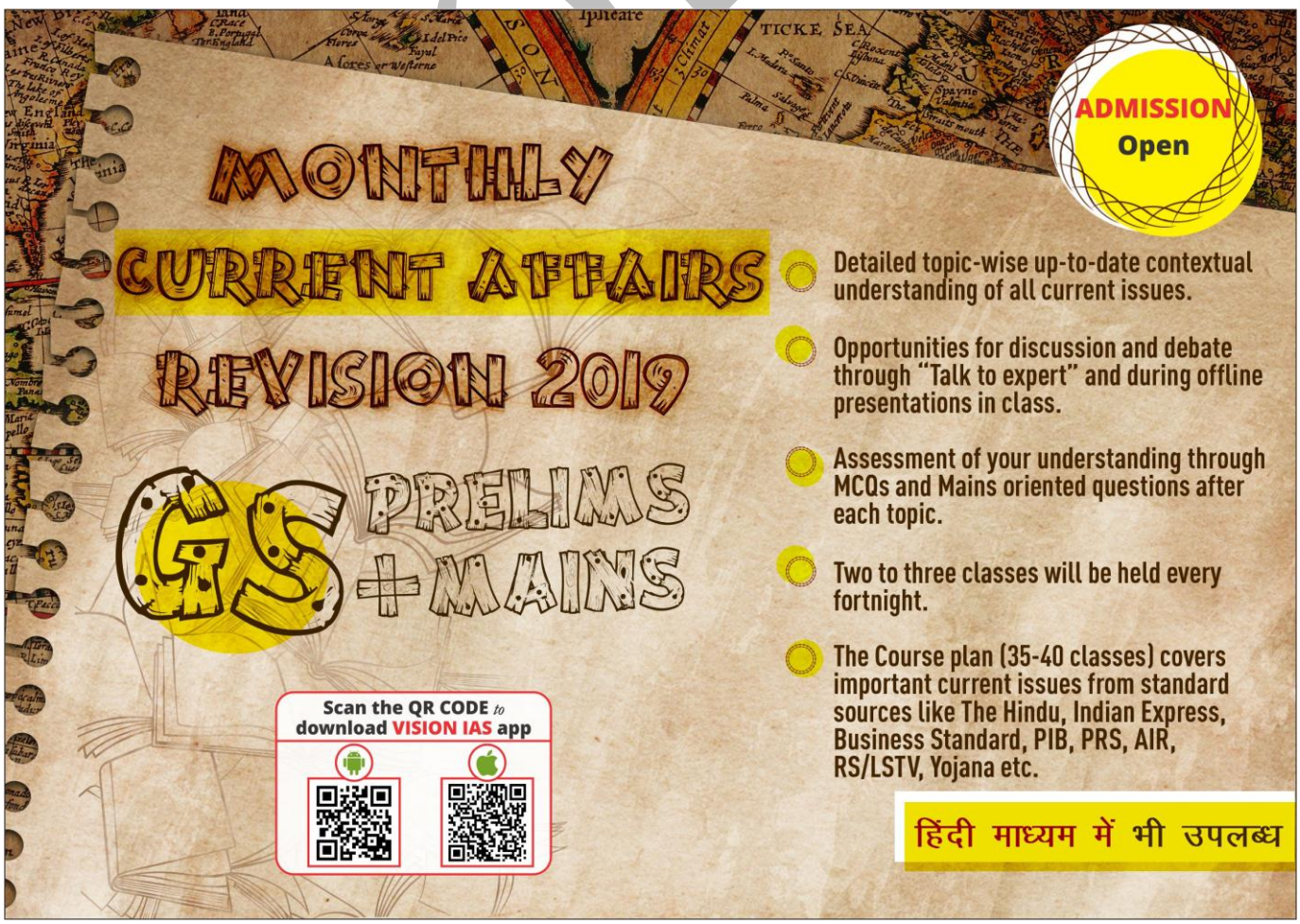

9. सुरक्षा से संबन्धित मुद्दे (Issues Related to Security)

9.1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(Andaman and Nicobar Islands)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय नौसेना ने रणनीतिक अवस्थिति वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से 100 मील उत्तर में एक नये एयरबेस, **आई.एन.एस. कोहासा (INS Kohasa)** का शुभारंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह भारत का **चौथा** एयरबेस और इस द्वीपसमूह में स्थित **तीसरी नौसैनिक हवाई सुविधा होगी।** वर्तमान में नौसेना कैंपबेल बे में **INS बाज** और पोर्ट ब्लेयर में हवाई पट्टियों का संचालन करती है तथा कार निकोबार में वायु सेना का एक एयरबेस स्थित है। इस द्वीप समूह में **भारत की एकमात्र त्रि-सेवा (भूमि, समुद्र और वायु) थिएटर कमान भी स्थित है।**
- इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गतिविधियों पर नजर रखने के प्रयास के साथ, भारत ने इन **द्वीपों में सैन्य अवसंरचना को अत्यधिक उन्नत किया है।**
- 2017 में, समुदाय आधारित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्वीपों के समग्र विकास के लिए **द्वीप विकास एजेंसी (IDA)** की स्थापना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।
- इसके पहले चरण में अंडमान और निकोबार के स्मिथ, रॉस, एव्स, लॉन्ग तथा लिटिल अण्डमान तथा लक्षद्वीप के मिनीकॉय, बंगाराम, सुहेली, चेरियम और टिन्नाकारा नामक द्वीपों का उनके समग्र विकास के लिए चयन किया गया है।

सम्बंधित तथ्य

जॉइंट लॉजिस्टिक नोड

- सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान में एक जॉइंट लॉजिस्टिक नोड स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- यह तीनों रक्षा सेवाओं को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा तथा संसाधनों एवं मानव शक्ति के उपयोग में सुधार करेगा और प्रतिरूपण (डुप्लीकेशन) को समाप्त करेगा।
- जॉइंट लॉजिस्टिक नोड में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:
  - जॉइंट लॉजिस्टिक्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (JLC&CC), जो कि समग्र कमांड संगठन है;
  - ट्राई-सर्विस डिटेचमेंट एंड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन (TRIDAMO), जो सशस्त्र बलों की सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा; और
  - ट्राई सर्विस एडवांस डिटेचमेंट (TRISAD), जो कि मुख्य भू-भाग पर आधारित है और नोड्स के लिए सैन्य टुकड़ियों और उपकरणों को भेजने के लिए उत्तरदायी है।

VISION IAS

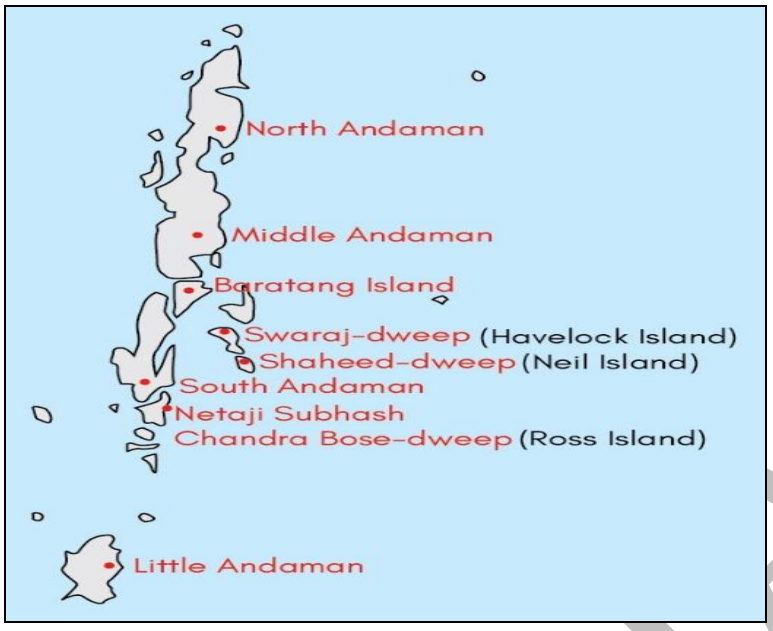

3 द्वीपों का पुनः नामकरण

- प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 3 द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है: रॉस द्वीप समूह का नाम अब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप रखा जाएगा; नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप के नाम से पुकारा जाएगा एवं हैवलॉक द्वीप का नया नाम अब स्वराज द्वीप होगा।

9.2. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष

(Permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की तीनों सेनाओं ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष (Permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee: PCCoSC) की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की है।

PCCoSC के बारे में

- इसका नेतृत्व **फ़ोर स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी** द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। वह सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों के समकक्ष होगा।
- वह सैनिकों के प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और सेवाओं के संयुक्त संचालन जैसी **सेनाओं के संयुक्त मामलों पर ध्यान केन्द्रित** करेगा।
- वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में **त्रि-सेवा कमान का प्रभारी** भी होगा।
- पद को **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** के रूप में भी संदर्भित किया गया है।
- वह **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता** करेगा।
- के. सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली **कारगिल समीक्षा समिति** और वर्ष 2011 में गठित **नरेश चंद्र समिति** जैसी विभिन्न समितियों ने स्थायी अध्यक्ष की अनुशंसा की थी।

भारत में वर्तमान संरचना

- चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल होते हैं।
- इसकी अध्यक्षता तीनों प्रमुखों में से **वरिष्ठतम** द्वारा सेवानिवृत्त होने तक **रोटेशन** के आधार पर की जाती है।
- यह एक ऐसा मंच है जहां तीनों सेना प्रमुख महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

VISION IAS

9.3. रणनीतिक नीति समूह

(Strategic Policy Group)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रणनीतिक नीति समूह (SPG) का पुनर्गठन कर **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** को इसका (SPG) अध्यक्ष बनाया गया है।

रणनीतिक नीति समूह (SPG)

- इसे 1999 में स्थापित किया गया था।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना का पहला स्तर है।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा (नेशनल डिफेंस रिव्यु) को प्रकाशित करने हेतु अधिकृत है। नेशनल डिफेंस रिव्यु वस्तुतः NSC के विचारार्थ अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा खतरों एवं रक्षा मामलों का एक मसौदा है।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्माण में प्रासंगिक इनपुट के एकीकरण के लिए SPG मुख्य तंत्र होगा।
- कैबिनेट सचिव केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के माध्यम से SPG के निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर (संरचना) में किए गए अन्य हालिया सुधार

- केवल एक उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्थान पर तीन उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को नियुक्त किया गया है, जबकि सैन्य सलाहकार के पद को पुनर्संरचित किया गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रक्षा संसाधनों को निर्णय लेने वाले एकल निकाय में संरेखित करने के लिए NSA की अध्यक्षता में एक **रक्षा योजना समिति (डिफेंस प्लानिंग कमिटी)** का गठन किया गया है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर

- सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS), राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कार्यकारी कार्रवाई के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- CCS की **अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है** और इसमें प्रायः रक्षा, विदेश, गृह और वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
- NSC और CCS दोनों में कुछ उभयनिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। यह उभयनिष्ठ सदस्यता उचित निर्णय-निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सहायता पहुंचाती है।
- NSC और NSA राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को परामर्श देते हैं।
- NTRO (राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन) NSA के तहत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council: NSC)

- यह भारत का एक **शीर्ष कार्यकारी निकाय** है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर **प्रधानमंत्री कार्यालय को परामर्श देता है।**
- इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।
- यहाँ तीन स्तरीय संगठनात्मक संरचना विद्यमान है, जिसमें रणनीतिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) शामिल हैं।

9.4 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(Border Area Development Programme: BADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17 राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अपने परिव्यय में वृद्धि की है।

BADP के बारे में

- **यह कोर ऑफ़ द कोर केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है और वर्तमान में राष्ट्रीय विकास एजेंडा का भाग है।**
- इस योजना का कार्यान्वयन सीमा प्रबंधन विभाग 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती जिलों में राज्य सरकारों के माध्यम से कर रहा है।

VISION IAS

- इसके तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं: (a) **अवसंरचना निर्माण** (b) **सीमावर्ती लोगों को आर्थिक अवसर प्रदान करना**, और (c) **उनके मध्य सुरक्षा की भावना का सृजन करना।**

9.5 वामपंथी उग्रवाद के नियंत्रण की नई पहलें

(New Initiatives To Curb Left Wing Extremism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

विभिन्न पहलें

- **ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फ़ोर्स-** यह छत्तीसगढ़ के लिए ग्रेहाउंड्स यूनिट की तर्ज पर एक विशेषीकृत नक्सल-विरोधी लड़ाकू बल (anti-Naxal combat force) है। ग्रेहाउंड्स एक विशेष बल है, जो नक्सलियों के विरुद्ध जंगल-युद्ध और विद्रोह-रोधी अभियानों में विशेषज्ञ हैं। इनका अधिकार-क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है।
- **बस्तरिया बटालियन-** यह छत्तीसगढ़ के चार अत्यधिक नक्सलवाद प्रभावित जिलों के 534 से अधिक जनजातीय युवाओं से गठित CRPF की एक नवनिर्मित बटालियन है। इसमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सरकार की नीति के अनुरूप है। सभी अर्द्धसैनिक बलों में यह ऐसी प्रथम संयुक्त बटालियन है।
- **USOF के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति-** केंद्रीय कैबिनेट ने LWE प्रभावित राज्यों के 96 जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) समर्थित योजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना न केवल सुरक्षा कर्मियों के साथ संचार में बल्कि इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु सहायता प्रदान करेगी।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

- USOF को दूरसंचार विभाग के अंतर्गत गठित किया गया तथा इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया।
- फंड का विशिष्ट रूप से उपयोग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए किया जाना है।

इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आर्थिक**: ICT सेवाओं का उत्थान और नेटवर्क विस्तार को बढ़ावा देना
- **सामाजिक:** पहुंच अंतराल को समाप्त कर अल्प-सेवित और असेवित क्षेत्रों/समूहों को मुख्य धारा में शामिल करना
- **राजनीतिक:** नागरिकों को सूचित तरीके से अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाना और
- **संवैधानिक:** लक्षित सब्सिडी के माध्यम से दूरसंचार / डिजिटल क्रांति और राष्ट्रीय संसाधन (निष्पक्ष USO लेवी) के उचित आबंटन के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।
- यह अपने समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर सभी दूरसंचार ऑपरेटरों से 5% की **यूनिवर्सल सर्विस लेवी (USL)** के माध्यम से वित्त प्राप्त करता है जिसे बाद में भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। इसके लिए संसद के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

9.6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

(Central Armed Police Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा गठित पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्य स्थितियों** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विषय के बारे और जानकारी

रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों की पहचान की है जैसे: सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण, अपर्याप्त अवसंरचना, हथियारों की कमी, उच्च रिक्तियों आदि।

गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

सीमा रक्षक बल	गैर-सीमा रक्षक बल
असम राइफल्स: यह भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र की रक्षा करता है।	**केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force: CISF):** यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है।

सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force: BSF): यह भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश की रक्षा करता है।	**केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force: CRPF):** यह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indo-Tibetan Border Police: ITBP): यह भारत-चीन सीमा की रक्षा करता है।	**राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard: NSG):** यह आतंकवादी-रोधी गतिविधियों में तैनात किया जाता है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB): यह भारत-भूटान एवं भारत-नेपाल सीमा की रक्षा करता है।	

9.7 जम्मू-कश्मीर में NSG कमांडो की तैनाती

(NSG Commandos to be Drafted in J&K)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने आतंकवाद रोधी अभियानों को सुदृढ़ करने हेतु जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो तैनात करने का निर्णय लिया है।

NSG के बारे में

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) गृह मंत्रालय के अधीन भारत की स्पेशल फोर्स यूनिट है।
- इसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
- इसे **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है,** लेकिन यह विशेष बल अधिदेश रखता है। इसकी मुख्य परिचालन क्षमता भारतीय सेना से तैयार विशेष कार्रवाई समूह (Special Action Group: SAG) द्वारा प्रदान की जाती है।
- NSG कर्मियों के काले रंग की वर्दी और उस पर लगे **"ब्लैक कैट"** के प्रतीक चिन्ह के कारण सामान्यतया उन्हें **'ब्लैक कैट'** भी कहा जाता है।

9.8 रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट-अप्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

(Defence Ministry Issues New Guidelines for Start-UPS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय स्टार्ट-अप** को सैन्य परियोजनाओं में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए नए नियमों को विनिर्दिष्ट किया है।

विषय के बारे में और जानकारी

- DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप को रक्षा परियोजनाओं के लिए अर्हता प्राप्त है।
- श्रेणियों में शामिल हैं: एरोनॉटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स आदि।
- इसके अंतर्गत मेक II श्रेणी में सशस्त्र सेवा बलों ने अनेक परियोजनाओं की पहचान की है।

DPP-2016 के अनुसार, 'मेक' प्रक्रिया की दो उप श्रेणियां हैं:,

- **मेक-I (सरकार द्वारा वित्त पोषित):** इसमें चरणबद्ध रूप से, परियोजना की लागत का **90% सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**
- **मेक-II (उद्योग द्वारा वित्त पोषित):** इसके तहत, निजी उद्योग अपने उत्पाद के अनुसंधान के लिए निधि प्रदान करता है और प्रोटोटाइप विकसित करता है। प्रोटोटाइप के विकास के लिए **कोई सरकारी वित्त पोषण नहीं होगा** लेकिन प्रोटोटाइप के सफल विकास और परीक्षणों पर आदेशों का आश्वासन दिया जाता है।

नई नीति के तहत, हथियारों की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता खरीद (भारतीय - IDDM) को और तत्पश्चात खरीद (भारतीय), खरीद एवं निर्माण (भारतीय) तथा खरीद एवं निर्माण (वैश्विक) को प्रदान की जाएगी; अंतिम प्राथमिकता खरीद (वैश्विक) श्रेणी को प्रदान की जाएगी। IDDM का तात्पर्य स्वदेशी डिजाइन के विकास और निर्माण (Indigenously Designed Developed and Manufactured) से है।

VISION IAS

9.9 टेररिस्ट ट्रेवल पहल

(Terrorist Travel Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF) के तत्वाधान में हाल ही में टेररिस्ट ट्रेवल इनीशिएटिव की शुरुआत की गई है।

GCTF टेररिस्ट ट्रेवल इनिशिएटिव

- यह राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, कानून प्रवर्तन और सीमा अनुवीक्षण पेशेवरों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। इसके माध्यम से **आतंकवाद का सामना करने हेतु एक प्रभावी निगरानी सूची तथा अनुवीक्षण उपकरणों को विकसित और कार्यान्वित करने के सम्बन्धी विशेषज्ञता को साझा** किया जाएगा।
- यह पहल बेहतर प्रथाओं का एक समुच्चय विकसित करेगी। यह समुच्चय **टेररिस्ट ट्रेवल (आतंकवादी की यात्रा) को रोकने के लिए UNSC रिजोल्यूशन 2396** में निर्धारित सीमा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए देशों और संगठनों को सुदृढ़ बनाएगा।

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम के बारे में

- इसे वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था। यह एक **अनौपचारिक, गैर-राजनीतिक और बहुपक्षीय काउंटर टेररिज्म (आतंकवाद विरोधी) मंच** है।
- यह नीति निर्माताओं और नीतियों को लागू करने वालों के लिए बेहतर परिपाटियों और उपकरणों को विकसित करता है ताकि आतंकवाद का सामना करने हेतु नागरिक क्षमताओं, राष्ट्रीय रणनीतियों, कार्य योजनाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को सुदृढ़ बनाया जा सके।
- GCTF में 30 सदस्य देश शामिल हैं। **भारत GSTF का एक संस्थापक सदस्य है।**

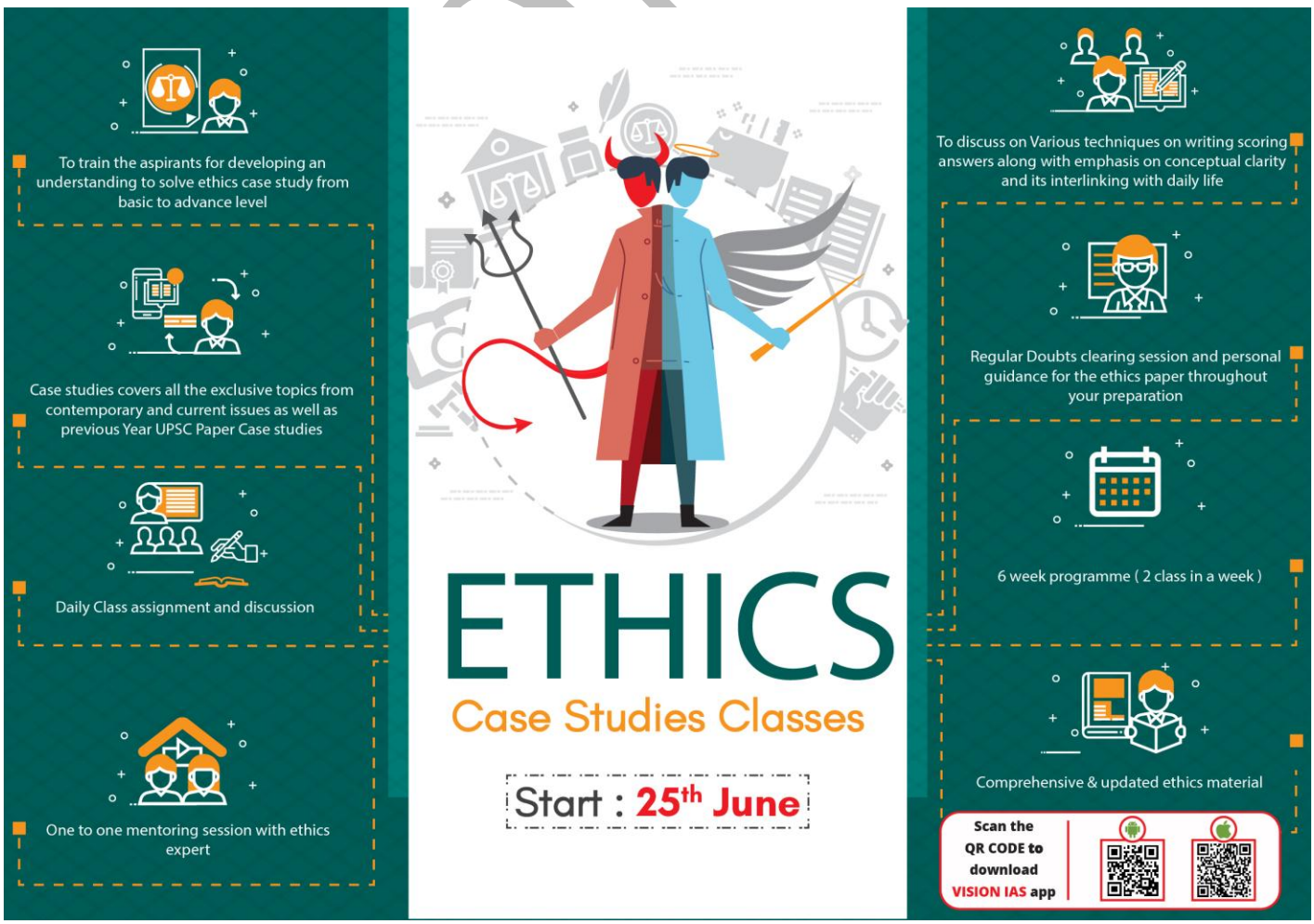

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. प्रवासन हेतु वैश्विक समझौता

(Global Compact for Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों

- संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों (यू.एस. और हंगरी को छोड़कर) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रवासन हेतु वैश्विक समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते के विषय में

- यह **SDG के लक्ष्य 10.7 के अनुरूप निर्मित किया गया है** जिसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्र सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- यह वैश्विक समझौता एक सामान्य समझ, साझा उत्तरदायित्वों और प्रवासन संबंधी उद्देश्य की एकता निर्धारित करता है, जिससे यह सभी के लिए कार्य कर सके।
- **समझौते के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - लोगों को अपने मूल देश छोड़ने के लिए बाध्य करने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों और संरचनात्मक कारकों को कम करना।
  - नियमित प्रवास के लिए मार्गों की उपलब्धता और सुगमता को बढ़ाना देना तथा प्रवासन से संबंधित सुभेद्यता को कम करना।
  - एक निष्पक्ष और नैतिक प्रवासन को सुगम बनाना तथा उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित परिस्थितियां उपलब्ध कराना।
  - एक एकीकृत, सुरक्षित और समन्वित तरीके से सीमाओं को प्रबंध करना।
  - प्रवासन निषेध का उपयोग केवल अंतिम उपाय के उपाय के रूप में अपनाना तथा अन्य विकल्पों की खोज करना।
  - पूर्ण समावेश और सामाजिक सामंजस्य की प्राप्ति के लिए प्रवासियों और समाजों को सशक्त बनाना।
  - सामाजिक सुरक्षा अधिकारों और अर्जित लाभों की सहजता के लिए तंत्र स्थापित करना।
- **यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।** यह न तो कोई आदेश और न ही कोई आरोपण लागू करता है। यह राज्यों की संप्रभुता का पूर्णतः सम्मान करता है।
- यह अपने सभी आयामों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर **संयुक्त राष्ट्र का प्रथम वैश्विक समझौता** है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा निर्णय के कार्यान्वयन के रूप में वर्ष 2017 में समझौता विकास करने की प्रक्रिया आरंभ की गई, क्योंकि सितंबर 2016 में **शरणार्थियों एवं प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा (New York Declaration for Refugees and Migrants)** को अपनाया गया।

संबंधित जानकारी: प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation for Migration: IOM)

- हाल ही में पुर्तगाल के एंटोनियो विटोरिनो को प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM) के प्रमुख के रूप में चुना गया।
- वर्ष 1951 में स्थापित, IOM प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है तथा सरकारी, अंतर सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय ले ग्रांड-सेकोनेक्स, स्विट्ज़रलैंड में है।
- **इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात** यूरोप के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए की गई।
- वर्ष 2016 में **यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठन बन गया।**
- **IOM X शोषण और मानव तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षित प्रवास और सार्वजनिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए** IOM का अभियान है।

10.2 प्रत्यर्पण

(Extradition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय ने भारत को भगोड़े विजय माल्या का **प्रत्यर्पण** करने का आदेश दिया है, ताकि उस पर उसके निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस की समाप्ति के परिणामस्वरूप लगे धोखाधड़ी के आरोप पर कार्यवाही की जा सके।

VISION IAS

प्रत्यर्पण क्या है?

- प्रत्यर्पण एक देश की ओर से किसी अन्य देश को आरोपी व्यक्तियों को वापस सौंपने की व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो मूल देश को ऐसे अपराधों जिनमें वे दोषी या आरोपी हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, से निपटने में सहायता प्रदान करती है।
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 भारत हेतु प्रत्यर्पण संबंधी वैधानिक आधार प्रदान करता है।

भारत में प्रत्यर्पण हेतु नोडल प्राधिकरण: विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करने वाला केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है, यह प्रत्यर्पण से संबंधित प्राप्त होने वाले तथा बहिर्गामी अनुरोधों को प्रशासित करता है।

प्रत्यर्पण तथा अन्य प्रक्रिया के मध्य अंतर:

- **निर्वासन** के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को देश को छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा उसे देश में पुनःवापस की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।
- **बहिष्करण** के तहत किसी व्यक्ति को एक संप्रभु राज्य के किसी विशिष्ट भाग में निवास करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- निर्वासन एवं बहिष्करण ऐसे **गैर-सहमति वाले आदेश** हैं जिन्हें किसी प्रकार के संधि-उपबंधों की आवश्यकता नहीं है। निर्वासन **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946** द्वारा प्रशासित होता है।

संबंधित जानकारी - इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया

- **इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) के बारे में**
- यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुगमता प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके 194 सदस्य देश हैं तथा इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्योन में स्थित है।
- **नोटिस** सदस्य देशों में पुलिस को महत्वपूर्ण अपराध से संबंधित जानकारी साझा करने के संबंध में सहयोग अथवा सतर्कता के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुरोध हैं।
- **CBI** भारत में जारी सभी इंटरपोल नोटिस के प्रबंधन और अनुपालना हेतु एक **नोडल प्राधिकरण** है। प्रत्येक राज्य के पुलिस बल में संपर्क अधिकारी भी उपस्थित है।
- **इंटरपोल नोटिस के प्रकार:**
  - **रेड नोटिस:** प्रत्यर्पण या इसी तरह की विधिसम्मत कार्रवाई के लिए किसी वांछित व्यक्ति के स्थान संबंधी जानकारी एकत्र करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए।
  - **ब्लू नोटिस:** किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान अथवा गतिविधियों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना।
  - **ग्रीन नोटिस:** उन व्यक्तियों के संबंध में चेतावनी और आसूचना प्रदान करना जिन्होंने आपराधिक कृत्य किए हैं और अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना है।
  - **येलो नोटिस:** लापता व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों का पता लगाने में सहायता करने अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करने के लिए जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं।
  - **ब्लैक नोटिस:** अज्ञात शवों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
  - **ऑरेंज नोटिस:** किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रक्रिया के संबंध में चेतावनी देने के लिए जो लोक सुरक्षा के लिए गंभीर और तत्काल खतरा उत्पन्न कर सकता है।
  - **पर्पल नोटिस:** अपराधियों के काम करने के तरीके, उद्देश्य, हथियार और स्वयं को छिपाने के लिए अपनाए गए तरीकों के संबंध में जानकारी लेने या देने के संबंध में
- **INTERPOL- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष नोटिस:** उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए जारी किया गया जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अधीन हैं।

10.3 प्रारूप उत्प्रवास विधेयक

(Draft Emigration Bill)

विदेश मंत्रालय ने संसद में उत्प्रवास विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करेगा।

VISION IAS

संबंधित जानकारी

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास से संबंधित सभी मामलों के लिए विद्यमान विधायी फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया। यह विधेयक इस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु सरकारी पहलें:

- **मदद पोर्टल (MADAD Portal):** यह 2015 में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आरंभ की गई एक ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली है। यह ई-पोर्टल विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को एक ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे भारत सरकार के पास कॉन्सुलर (दूतावास) सेवाओं संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- **प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2017:** यह एक **अनिवार्य बीमा योजना** है जिसका उद्देश्य ECR देशों में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रवास करने वाले एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) श्रेणी में आने वाले भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना है।
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF):** इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अत्यंत संकट एवं आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना है।
- प्रवासियों को जानकारी और सहायता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन स्टॉप सर्विस आउटलेट के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु, मेजबान देशों में **भारतीय कामगार संसाधन केंद्रों** की स्थापना की गई है।
- **महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना (MGPSY)**- यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण करने के साथ-साथ ECR देशों में उनके सामाजिक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है।
- **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD):** यह प्रत्येक वर्ष दो वर्ष में आयोजित किया जाता है तथा विदेशी भारतीय समुदाय को सरकार के साथ जुड़ने के लिए मंच प्रदान करता है।
  - यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के स्मरण में मनाया जाता है। हालांकि, इस वर्ष गणतंत्र दिवस, कुंभ मेला समारोह के कारण यह दिवस 21 से 23 जनवरी को आयोजित किया गया।
  - PBD के दौरान विदेशी भारतीयों को भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
  - **प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय** "नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका" है।
  - **प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना:** इसका शुभारंभ PBD 2019 में किया गया तथा इसके तहत **45-60 वर्ष की आयु वर्ग** के प्रवासी भारत के सभी प्रमुख **तीर्थ स्थलों** का भ्रमण कराया जाएगा।
    - यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।
    - **गिरमिटिया देशों** के लोगों को **प्रथम वरीयता** प्रदान की जाएगी।
- गिरमिटिया या जहाजी, यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा गन्ने के रोपण हेतु फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका (त्रिनिदाद एवं टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम) में लाए गए संविदाबद्ध भारतीय मजदूरों के वंशज हैं।

10.4 मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति

(Mission Raksha Gyan Shakti)

- हाल ही में, **रक्षा उत्पादन विभाग** ने रक्षा क्षेत्रक में आत्म-निर्भरता में वृद्धि करने हेतु जारी पहलों के एक भाग के रूप में 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नामक एक नवीन फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance: DGQA) द्वारा इस कार्यक्रम को समन्वित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है।

10.5 रायसीना वार्ता 2019

(Raisina Dialogue)

- रायसीना वार्ता का चौथा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। रायसीना वार्ता भारत का प्रमुख वार्षिक भू-राजनैतिक एवं भू-आर्थिक सम्मेलन है। इस वर्ष वार्ता की थीम है– **"अ वर्ल्ड रिऑर्डर: न्यू जियोमेट्रीज, फ्लूड पार्टनरशिप्स, अनसर्टन आउटकम्स"**।

VISION IAS

- इस सम्मेलन को भारत सरकार, **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से **ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** (स्वतंत्र थिंक टैंक) द्वारा आयोजित किया गया है।
- **यूनाइटेड स्टेट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (GIPC)** ने रायसीना वार्ता में **"फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन"** नामक एक नई नवाचार पहल का शुभारंभ किया। यह पहल **आर्थिक नवप्रवर्तन** की जांच करेगी ताकि नीति-निर्माताओं द्वारा सफलता नवाचार को सक्षम करने और अनुसंधान, वकालत, साझेदारी और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विश्व भर में नवाचार पूंजी का दोहन करने के अवसरों का पता लगाया जा सके।
- खाड़ी क्षेत्र में मौजूद विवाद एवं अविश्वास संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक रणनीतिक रणनीतिक पहल **ईरान** ने क्षेत्रीय शांति निर्माण के एक नए मंच के रूप में एक नए मंच के रूप में **"फारस की खाड़ी क्षेत्रीय संवाद मंच"(Persian Gulf Regional Dialogue Forum)** को प्रस्तावित किया है।

10.6 बेरुत घोषणा

(Beirut Decleration)

- **अरब आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन** के समापन पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसे बेरूत घोषणा के नाम से जाना जाता है।
- यह **अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना** और **विस्थापित एवं शरणार्थियों को शरण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहयोग** की अपील करता है।

10.7. उइगर

(Uighurs)

- हाल ही में चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में लगभग दस लाख उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने संबंधी मामला प्रकाश में आया है।
- उइगर नृजातीय आधार पर **तुर्क मुसलमान** हैं जो मूल रूप से **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र** में निवास करते हैं तथा इनकी चीन में नृजातीय अल्पसंख्यकों के रूप में पहचान की जाती हैं।

10.8. कर्च जलसंधि

(Kerch Strait)

- हाल ही में कर्च जलसंधि में एक जहाज दुर्घटना में 6 भारतीयों की मृत्यु हो गई।
- कर्च जलसंधि **काला सागर और अज़ोव सागर को जोड़ने वाली एक जलसंधि** है, जो पूर्व में रूस के क्रास्नोडार क्राय के तमन प्रायद्वीप को पश्चिम में क्रीमिया के कर्च प्रायद्वीप से पृथक करती है।

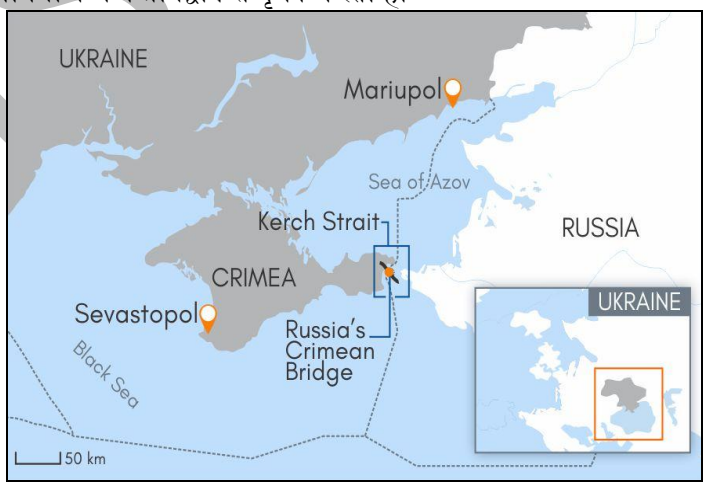

10.9. फरजाद-बी गैस ब्लॉक

(Farzad-B Gas Block)

- भारत को **ईरान के फरजाद-बी गैस फील्ड** के लिए आसान शर्तों पर स्वीकृति प्राप्त हो सकती है क्योंकि इस पर वार्ता जारी है।
- यह गैस क्षेत्र ईरानी संप्रभुता के नियंत्रण में **फारस की खाड़ी में अवस्थित** है तथा भारत इसके अधिग्रहण और अन्वेषण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

10.10. कैटेलोनिया

(Catalonia)

- स्पेन के प्रधानमंत्री ने मैड्रिड और बार्सिलोना के मध्य तनाव को कम करने हेतु कैटेलोनिया को स्वायत्तता प्रदान किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में एक जनमत संग्रह प्रस्तावित किया।
- कैटेलोनिया, **आईबेरियाई प्रायद्वीप** में स्पेन के उत्तर-पूर्वी किनारे पर स्थित एक स्वायत्त समुदाय है, जिसे स्टैट्यूट ऑफ़ ऑटोनॉमी (स्वायत्तता हेतु प्रसंविदा) द्वारा एक राष्ट्रीयता के रूप में नामित किया गया है।
- कैटेलोनिया में चार प्रांत शामिल हैं: **बार्सिलोना, गिरोना, लीडा और टैरागोना।**

10.11 इन्स्टेक्स एस.ए.एस.

(Instex SAS)

- हाल ही में **फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (E3)** ने इन्स्टेक्स एस.ए.एस. (इंस्ट्रूमेंट फॉर सपॉर्टिंग ट्रेड एक्सचेंज्स: INSTEX SAS) के सृजन की घोषणा की है।
- यह एक **स्पेशल पर्पस व्हीकल** है जिसका लक्ष्य **यूरोपीय आर्थिक परिचालकों और ईरान के मध्य वैध व्यापार** को सुविधाजनक बनाना है।
- यह एक **गैर-डॉलर, यूरो-नामित समाशोधन गृह अथवा भुगतान चैनल** के तौर पर कार्य करेगा तथा E3 इसके शेयरधारक होंगे। यह यूरोपीय संघ तथा ईरान के मध्य डॉलर में होने वाले मौद्रिक अंतरण से बचता है।
- इसे फ्रांस में स्थापित किया जाएगा तथा एक जर्मन बैंकर इसका अध्यक्ष होगा। यूनाइटेड किंगडम सलाहकारी बोर्ड का प्रमुख होगा।
- यह शुरू में औषध उद्योग, चिकित्सा उपकरण और कृषि-खाद्य पदार्थों जैसे उन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अमेरिका के प्रतिबंधों के लक्ष्य नहीं हैं।

10.12 ज़िले ज़ॉन प्रोटेस्ट

(Gilets Jaunes Protests)

- हाल ही में **फ्रांस** में एक जन आंदोलन हुआ जिसे ज़िले ज़ॉन **(येलो वेस्ट)** प्रोटेस्ट कहा गया, जो अन्य देशों, जैसे- बेल्जियम, इटली, बुल्गारिया, जर्मनी आदि में भी फैल रहा है।
- नवंबर के प्रारंभ में डीजल और पेट्रोल पर कर में नियोजित वृद्धि के विरुद्ध **जमीनी स्तर पर नागरिकों का एक विरोध आंदोलन** शुरू हुआ था। इस वृद्धि के संदर्भ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति का दृढ़ मत था कि यह देश को हरित ऊर्जा को अपनाने में सहायता करेगा।
- इस आंदोलन को "ज़िले ज़ॉन" (येलो वेस्ट) का नाम दिया गया था। इसमें भाग लेने वाले विद्रोहियों ने चमकीले पीले रंग की वो जैकेट पहनी थी जिसे फ़्रांस के क़ानून के अनुसार सभी मोटर चालकों को अपने वाहनों में रखना अनिवार्य है।

10.13 स्वीडन की फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी नियमावली

(Sweden's Feminist Foreign Policy Manual)

- हाल ही में स्वीडन ने फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी (नारीवाद आधारित विदेश नीति) के संबंध में नियमावली जारी की।
- संबर 2014 में, स्वीडन एक फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी (नारीवाद आधारित विदेश नीति) को स्वीकृत करने वाला प्रथम देश बन गया।
- **फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी** यह राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित लोगों के लिए एक कार्यवाही योजना है जो लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

10.14. सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास

(Military Exercises in News)

सूर्य किरण	भारत और नेपाल सेना के मध्य
विजय प्रहार	भारतीय सेना और वायु सेना के मध्य
मालाबार-2018	भारत, अमेरिका और जापान के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास

VISION IAS

इंड-इंडो कॉर्पेट (CORPAT)	भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य
मैत्री अभ्यास-2018	भारत और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के मध्य
अभ्यास काजिंद-2018	भारत और कज़ाकिस्तान की सेनाओं के मध्य
युद्ध अभ्यास	भारत और अमेरिकी सेनाओं के मध्य
अभ्यास स्लिनेक्स (SLINEX)-2018	भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य
नोमैडिक एलिफेंट	भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य
बिम्सटेक मिलेक्स (MILEX) - 18	बिम्सटेक राष्ट्रों के मध्य
अभ्यास एवियाइंद्र - 18	भारत और रूसी वायु सेनाओं के मध्य
इब्सामार (IBSAMAR)	भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य
जिमेक्स (JIMEX)-18	भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य
सहयोग HOP TAC-2018	भारत और वियतनाम के तट रक्षक बलों के मध्य
वज्र प्रहार	भारत और अमेरिकी सेनाओं के मध्य
कोंकण-18	भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य
शिन्यु मैत्री-18	भारत और जापान की वायु सेनाओं के मध्य
अभ्यास सी-विजिल	भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेनाओं के मध्य।
हैंड-इन-हैंड	भारत और चीन की सेनाओं के मध्य
इंद्र नेवी-2018	भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य

इम्बेक्स (IMBEX) 2018-19	भारत और म्यांमार की सेनाओं के मध्य
इंडिया-अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (IAFTX)-2019	भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के मध्य
कटलास एक्सप्रेस-2019	पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम हिंद महासागर देशों, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्री बलों के मध्य
कोबरा गोल्ड अभ्यास	थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के मध्य।
अभ्यास तोपची	भारतीय सेनाओं के मध्य

VISION IAS

अभ्यास राहत	**मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों** के लिए भारतीय सेना और NDMA का संयुक्त अभ्यास
ऑपरेशन निस्तर	**यमन में चक्रवात के प्रवेश करने के पश्चात सोकोत्रा द्वीप** (यमन) में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया ऑपरेशन।
ऑपरेशन समुद्र मैत्री	इंडोनेशिया के मध्य सुलावेसी प्रांत में भूकंप और उत्तरवर्ती सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.